



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन पटना -800022

अधिसूचना

दिनांक-04.03.2014

संख्या-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (1) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी।-03/11-1413, दिनांक 31 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार की अधिसूचना संख्या-बी.एस.यू.-41/2013-1866/बी.एस(1), दिनांक 19.08.2013 द्वारा गठित परिनियम समिति द्वारा समर्पित प्रारूप परिनियम, उक्त प्रारूप परिनियम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से प्राप्त मंतब्य एवं तत्पश्चात् शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-15/डी।-03/11-381, दिनांक 24.02.2014 के माध्यम से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, यथा अद्यतन संशोधित, की धारा 36(7) में निहित शक्तियों के अधीन, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्नति के निमित्त पद सौपान/पद संवर्ग निर्धारित करने के साथ-साथ इनकी प्रोन्नति हेतु अलग-अलग तीन परिनियमों (प्रतिलिपि संलग्न) को अनुमोदित करने की कृपा की गयी है।

माननीय कुलाधिपति के आदेश से

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

दिनांक-04.03.2014

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ-

1. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
2. कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3. कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
4. कुलपति, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
5. कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. कुलपति, बीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
7. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
8. कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
9. कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
10. कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

(.....कृ० पृ० 2)

अनु-यथा उपर्युक्त (कुल 149 पृ०)

ज्ञापांक-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (1),

दिनांक-04.03.2014

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु-यथा उपर्युक्त (कुल 149 पृ.)

हो/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

ज्ञापांक-बी.एस.यू.-41/2013-429/रा.स. (1),

राज्यपाल के प्रधान सचिव
दिनांक-04.03.2014

प्रतिलिपि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम की प्रति के साथ वैशानिक-डी, प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, राजभवन, पटना को राजभवन के website पर upload करने हेतु प्रेषित ।

अनु-यथा उपर्युक्त (कुल 149 पृ.)

9514
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 413714

राज्यपाल के प्रधान सचिव

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रोन्ति के निमित्त पद सोपान/पद संवर्ग निर्धारित किये जाने से संबंधित परिनियमः-

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 34 एवं 36 के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सामान्य सेवा शर्तों से संबंधित परिनियमों में अंकित प्रावधानों में किसी अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए, राज्य के विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेतर पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्ति हेतु सामान्य सेवा परिनियम :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :

यह परिनियम 'विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध इकाइयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति/ प्रोन्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया के लिए विहित परिनियम के नाम से जाना जाएगा तथा यह कुलाधिपति की सहमति की तिथि से लागू समझा जायगा।

2. परिभाषाएँ :

इस परिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इस परिनियम में अंकित शब्दों की परिभाषा वही मानी जायेगी जो नीचे परिभाषित किया जा रहा है :-

- (i) 'अधिनियम'- से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 ।
- (ii) 'यू०जी०स००' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (iii) 'धारा' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अधिनियम की धाराएं;
- (iv) 'नियम' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित नियम;
- (v) 'अनुच्छेद' से अभिप्रेत है, इस परिनियम का अनुच्छेद;
- (vi) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार।
- (vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग।
- (viii) 'विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों एवं संस्थानों के शिक्षकों से अलग विश्वविद्यालय के कर्मचारी।
- (ix) 'महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों से भिन्न महाविद्यालयों के कर्मचारी।
- (x) 'परिवेक्षण' से अभिप्रेत है, इन परिनियम में निर्दिष्ट किसी पद पर परिवेक्षण पर नियुक्त कोई कर्मी।

- (xi) 'रिक्ति' से अधिप्रेत है, समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा मौलिक पद पदों की गिक्ति; या उस पद पर किसी कर्मों का वाह्य सेवा में लियन पर होना।
- (xii) 'नियमित सेवा' से अभिप्रेत है, सौंवदा या दैनिक यारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मचारी से भिन्न संवर्ग के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा, किन्तु इनमें वे ही कर्मचारी भौमिलित होंगे जिनकी नियुक्ति या प्रोन्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रिया अथवा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन की गयी हो।
- (xiii) 'परिशास्त' से अभिप्रेत है, इस परिनियम के संलग्न परिशास्त क्रमशः । एवं 2 ;
- (xiv) 'परिनियम' से अधिप्रेत है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में विहित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के सहमति से गठित परिनियम;
- (xv) 'प्रोन्ति समिति' से अभिप्रेत है, परिनियम के द्वारा गठित प्रोन्ति-समिति के सदस्यों का समूह;
- (xvi) 'निकाय या संस्था' से अभिप्रेत है, किसी ऐसी संस्था अथवा संस्थान से है जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 या किसी परिनियम के अधीन इस रूप से घोषित हो;
- (xvii) 'नियुक्ति' से अभिप्रेत है, विहित प्रक्रिया के अनुसार मौलिक पद पर सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त की गई नियुक्ति;
- (xviii) 'प्रोन्ति' से अभिप्रेत है, इस परिनियम में परिभाषित विहित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न वर्गों/कोटियों में रिक्त मौलिक पदों पर की गई प्रोन्ति एवं चयन।
- (xix) विश्वविद्यालय से अधिप्रेत है, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बी०आ०ए० बिहार विश्वविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, चोर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, तिलक माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बी०ए० मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय ;
- (xx) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है, एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह;
- (xxi) 'येड पे' से अभिप्रेत है, पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रदत्त येड पे;

3. संवर्गों/ पदों का संधारण :

(क) इन परिनियम के निर्गत होने के पश्चात् राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकतर पदाधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति में य०जी०सी० विनियमों में निर्धारित अर्हता एवं समतुल्यता का पालन सुनिश्चित किया जायगा। शिक्षकतर कर्मचारियों के अन्य पदों पर विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सभी नियुक्तियाँ केवल इस परिनियम में विहित प्रावधानों के अनुसार होंगी। बर्तमान में वैसे पदों पर नियुक्तियाँ,

जो इस परिनियम में निहित प्रावधानों से अच्छादित नहीं होती है, अधिनियम के अधीन गठित परिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य स्वीकृत नियोजन नियमों के अनुरूप जारी रहेंगी।

(ख) इस परिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट पदों के प्रत्येक संबंध के कर्मचारियों की वरीयता सूची विश्वविद्यालय के मुख्यालय की स्थापना प्रशासन में रखी जाएगी, जबतक यह कार्य किसी अन्य संस्था को नहीं सौंपा जाता। इस प्रावधान के बावजूद, किसी वर्ग या कोटि के पद और इसका पदधारी, व्याप्रस्थिति, सक्षम पदा० के सामान्य या विशेष आदेश से किसी कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अपेंग कोटि के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुरूप पदों में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

4. पदों का वर्गीकरण और वेतनमान :

(i) वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में वेतन समिति की अनुशंसा के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या-2693 दिनांक 27.08.2010 के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से किये गये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में तथा सरकार में वर्गीकरण संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-511 दिनांक 22.02.2011 के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगौधूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है तथा इनसे संबंधित वेतनमान इस परिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 में निर्दिष्ट होंगे।

क्रमांक	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(क) शीर्षस्थ वेतनमान (80000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (रु0 75500-80000) में कोई पद और (ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 37400-67000 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-4 में 12000 रुपये, 10000 रुपये, 8900 रुपये और 8700 रुपये तथा 15600-39100 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600 रुपये, 6600 रुपये और 5400 रुपये।	समूह 'क' (ए)
(2)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 9300-34800 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-2 में 5400 रुपये, 4800 रुपये, 4600 रुपये और 4200 रुपये।	समूह 'ख' (बी)
(3)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 5200-20200 रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड-1 में 2800 रुपये, 2400 रुपये, 2000 रुपये, 1900 रुपये और 1800 रुपये।	समूह 'ग' (सी)
(4)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई पद :- 4440-7440 रुपये के वेतनमान में । एस वेतनमान में 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1600 रुपये और 1650 रुपये।	समूह 'घ' (डी)

(ii) भविष्य में राजकीय संकल्पों के द्वारा संशोधित किये गये वेतनमान के अनुरूप उपर्युक्त विवरणी

एवं संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 में निर्दिष्ट वेतनमान स्वतः संशोधित समझा जायगा।

(iii) राज्य के विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालयों में आडटसोसिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों और राज्य के विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालयों के मरणशील पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों को क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-३ एवं ४ के अनुरूप सामंजन एवं प्रोन्ति अनुमान्य किया जायगा।

(iv) आडटसोसिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों एवं मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायगी। इस क्रम में नयी प्रशासनिक संस्कृति के आलोक में शिक्षकेतर कर्मियों के पदों के अनुमान्यता से संबंधित विभागीय स्तर से अनुमोदित / निर्गत स्टाफिंग पैटर्न के गाइडलाइन्स, पत्र एवं अन्य सभी प्रकार के निदेश दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से विलोपित समझे जायेंगे।

5. नियुक्ति की प्रक्रिया, आयु-सीमा और अन्य अहंताएँ (योग्यताएँ) :

(क) उल्लिखित पदों से सम्बद्ध नियुक्ति-प्रक्रिया, आदि परिशिष्ट में निर्दिष्ट होंगी।

(ख) चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय में नियुक्ति के निम्नलिखित प्रक्रिया होंगी :-

(i) सीधी भर्ती

(ii) प्रोन्ति द्वारा

(iii) प्रतिनियोजन द्वारा स्थानांतरण

(iv) सर्विदा/ आडटसोसिंग पर नियुक्ति

व्याख्या :-

(i) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति विहार लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन प्राधिकृत निकाय की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

(ii) पदाधिकारी स्तर से न्यून कर्मचारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम से की जा सकेगी। चयन समिति द्वारा अनुशासित उम्मीदवारों में से ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गम किया जा सकेगा।

(iii) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रोन्ति के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर ही प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। पदाधिकारियों की प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में प्रोन्ति समिति द्वारा अनुशासित नाम पर विश्वविद्यालय चयन समिति की सहमति आवश्यक होगी।

(iv) राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार द्वारा ही विश्वविद्यालय सेवा में योग्य पात्र (Eligible) व्यक्ति को प्रतिनियोजित किया जा सकेगा। इस हेतु प्रतिनियोजन का शर्त राज्य सरकार द्वारा तय किया जायगा।

(v) सर्विदा पर नियुक्ति हेतु अलग से एक समिति का गठन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायगा। समिति खुले विज्ञापन के आधार पर चयनित व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी। तत्परचात् सर्विदा के शर्त के अधीन अनुशासित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी, जिसमें नियुक्ति की

6. चयन समिति का गठन :

(i) पदाधिकारियों के संबिदा के आधार पर नियुक्त हेतु गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (क) कुलपति - अध्यक्ष
- (ख) सिंडिकेट द्वारा नामित एक व्यक्ति - सदस्य
- (ग) कुलाधिपति के नामित एक व्यक्ति- सदस्य
- (घ) राज्य सरकार के द्वारा नामित एक पदाधिकारी - सदस्य
- (ङ.) दो विशेषज्ञ - सदस्य (विशेषज्ञों का चयन कुलाधिपति द्वारा किया जायगा।)
- (च) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ अनु० जनजाति के पदाधिकारी जो उप सचिव स्तर से अन्यून हो - सदस्य

सर्वसम्मत चयन नहीं हो सकने की स्थिति में बहुमत से चयनित उम्मीदवार ही नियुक्त हेतु अनुशासित होंगे।

(ii) परिशिष्ट-1 एवं 2 में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले विभागीय अध्यर्थियों पर लागू नहीं होगी वशर्ते उन्होंने विश्वविद्यालय में कम-से-कम तीन वर्षों तक सेवा की हो।

(iii) परिशिष्ट-1 एवं 2 में सीधी नियुक्ति के लिए विहित आयु-सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष या उससे कम हो, की छूट दी जा सकती है, वशर्ते आवेदक ने सरकारी विभाग/ प्राविधानिक या स्वायत्त निकायों/ विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों या सार्वजनिक उपक्रम या सम्बद्ध क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्षों तक सेवा की हो।

(iv) सीधी नियुक्ति के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों (केन्द्रीय सूची) अपांग, पूर्व सेवियों या अन्य निर्दिष्ट कोटि के लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिचालित आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकेगी।

(v) सीधी नियुक्ति/ उन्मुक्त चयन के माध्यम से की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति केवल प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा ही की जा सकेगी।

7. प्रोन्ति :

समूह ख, ग एवं घ के कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर प्रोन्ति के निमित परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर परिशिष्ट में डिल्लिखित शर्तों के अधीन कुलपति के अनुमोदन से विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाएगी। राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कोटि-वेतन (Grade-Pay) आधारित कालावधि व्यवस्था लागू की गयी है, जो समान रूप से विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के

कर्मियों पर भी लागू होगी। इस क्रम में तत्काल निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था लागू को जायगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप संशोधित समझा जायगा :-

(i)

क्रमांक	कोटि-वेतन		न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
1	1800	1900	3 वर्ष
2	1900	2000	3 वर्ष
3	1900	2400	8 वर्ष
4	2000	2400	5 वर्ष
5	2400	2800	5 वर्ष
6	2400	4200	10 वर्ष
7	2800	4200	6 वर्ष
8	4200	4600	5 वर्ष
9	4200	4800	6 वर्ष
10	4200	5400	8 वर्ष
11	4200	6600	10 वर्ष
12	4600	4800	2 वर्ष
13	4600	5400	3 वर्ष
14	4600	6600	7 वर्ष
15	4800	5400	2 वर्ष
16	4800	6600	6 वर्ष
17	5400	6600	5 वर्ष
18	6600	7600	5 वर्ष
19	6600	8700	10 वर्ष
20	7600	8700	5 वर्ष
21	7600	8900	6 वर्ष
22	8700	8900	2 वर्ष
23	8700	10000	3 वर्ष
24	8900	10000	2 वर्ष

(ii) उपर्युक्त कोटि-वेतन आधारित कालावधि तालिका मात्र निम्न कोटि-वेतन से ठोक ऊपर कोटि-वेतन में प्रोन्ति को लिए हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि किसी निम्न कोटि-वेतन से ठोक ऊपर के कोटि-वेतन को लाँघ (Jump) कर दूसरे या तीसरे ऊपर के कोटि-वेतन में प्रोन्ति दे दी जायेगी। उदाहरणतः, यदि किसी सेवा-संवर्ग के पद श्रृंखला में कोटि-वेतन 2400 से 2800 एवं कोटि-वेतन 2800 से 4200 का प्रोन्ति पद उपलब्ध हो, तो तालिका की कोडिका-5 और 7 के अनुसार किसी कर्मी विशेष को 2400 के कोटि-वेतन से 4200 के कोटि-वेतन में प्रोन्ति हेतु $5+6=11$ वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी, न कि कोडिका-6

कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर कोटि-वेतन में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है। इसका यह अर्थ कदाचित नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को बरीचतर कोटि-वेतन प्रोन्नत कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए बरीचतर कोटि-वेतन में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निष्पत्ति लिया जायेगा।

(iii) निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने को स्थिति में जहाँ प्रोन्नति देना संभव नहीं हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/कोटि-वेतनों को कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप रु0 6600/- से रु0 7600/- के कोटि-वेतन में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और रु0 7600/- से रु0 8700/- के कोटि-वेतन में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि रु0 7600/- के कोटि-वेतन से रु0 8700/- के कोटि-वेतन में प्रोन्नति विचारणीय, हो तो रु0 7600/- के कोटि-वेतन में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने को स्थिति में निम्न कोटि-वेतन (या अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित कोटि-वेतन (रु0 7600/-) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

8. प्रोन्नति हेतु योग्यताएँ :

निम्न कोटि का कोई भी कर्मचारी, जिसे अगले उच्च पद की अपेक्षित योग्यता होगी, विचार का पात्र होगा और एक संवर्ग के कर्मचारी, उसी संवर्ग में प्रोन्नति के हकदार होंगे। समूह "क" के पदाधिकारियों की प्रोन्नति एवं नियुक्ति की योग्यता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों में विहित अहंताओं के अनुरूप होंगी तथा समूह ख, ग एवं घ के कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की योग्यता वही होगी जो परिशिष्ट-। एवं 2 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों में विहित है फिर भी, यदि किसी पद पर प्रोन्नति के लिए योग्यता और प्रक्रिया का डल्लेख परिशिष्ट में नहीं किया गया हो तो ऐसे पद/पदों पर प्रोन्नति, राज्य सरकार के समतुल्य कोटि के पदों पर प्रोन्नति के नियमों के अनुसार की जा सकेगी।

(1) प्रत्येक संवर्ग का प्रवेश बिन्दु 'सो' श्रेणी का सबसे अंतिम पद ही निम्नलिखित संवर्ग का प्रवेश बिन्दु (Entry Point) होगा।

(2) प्रारम्भिक (प्रवेश) बिन्दु पर योग्यता में छूट :-

सभी संवर्गों के प्रवेश बिन्दु (entry point) पर किसी प्रकार की योग्यता यथा शैक्षिक, तकनीकी या अनुभव के संबंध में छूट नहीं दी जाएगी। प्रवेश बिन्दु पर योग्यता में खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति के समय या प्रोन्नति हेतु छूट नहीं दी जाएगी वशतें कि विशेष श्रेणी में यथा अंधा या निःशक्त में नहीं आते हों। ऐसी विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की योग्यता में छूट देने पर कुलपति विचार कर सकते हैं।

(3) प्रत्येक संवर्ग में विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति हेतु आरक्षण का प्रतिशत

प्रत्येक सम्बंध में भिन्न-भिन्न स्तरों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में राज्य में लागू नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित विधि के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगा।

स्पष्टीकरण

- (i) जहाँ कहीं ऐसा उल्लेख हो कि संबंध में से ही प्रोन्नति विचार योग्य/देव है तो इसका अर्थ हुआ कि किसी खास विभाग/ संस्थान/ कार्यालय स्थित खास पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के समय पिछले निम्न पद पर कार्यरत मध्ये कर्मी उस पद पर प्रोन्नति पाने हेतु योग्य माना जाएगा। परन्तु वरीयता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।
 - (ii) जहाँ कहीं ऐसा उल्लेख हो कि प्रोन्नति विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में से देव/ विचार योग्य है तो इसका अर्थ हुआ कि किसी खास विभाग/ संस्थान/ कार्यालय में किसी खास पद को सिर्फ प्रोन्नति द्वारा ही भरा जाना है तो ऐसा कर्मी जो उस संबंध के पिछले निम्न पद पर कार्यरत है, उपर्युक्त एवं वरीयता के आधार पर ही प्रोन्नति दी जाएगी। सिर्फ वैसे संबंधों के लिए अनुशंसा की गयी है जहाँ अन्तर विभागीय गतिशीलता (mobility) या तो नहीं ही है या है, भी तो बहुत कम।
- (5) अगले प्रक्रम (Stage) पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव वर्ष :-

निम्न पद से उच्च पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु ऐसा कोई व्यक्ति विचार योग्य नहीं होगा जिसकी सेवा सम्पूर्ण न हो या जो परीक्ष्यमान रूप में कार्य न कर रहे हों या जिसने लगातार 5 वर्षों तक सम्बद्ध संबंध के पिछले निम्न पद पर कार्य न किया हो।

आगे बताते कि इन कोटियों (Grade) में अस्थायी सेवाकाल की गणना लगातार नियुक्ति की तिथि या परीक्ष्यमान अवधि की सम्पूर्ण जो सामान्य चयन समिति द्वारा अनुशंसा पश्चात् हो, योग्यता निर्धारण उपरोक्त की भाँति की जायगी।

उपरोक्त नियम इस शर्त के साथ होगा कि इसमें वरीयता प्रभावित न हो।

प्रोन्नति पर विचार करते समय योग्यता में छूट:-

ऐसे व्यक्तियों को प्रोन्नति देने पर विचार करते समय निर्धारित योग्यता में छूट दी जायगी जिनकी सेवा सम्बंध को ठीक अगले निम्न वेतनमान में कम से कम 8 वर्ष की स्थायी रूप से या परीक्ष्यमान रूप में सेवा की गयी हो। निर्धारित शैक्षिक योग्यता में अगले निम्न डिग्री/ प्रमाण-पत्र की हद तक ही छूट दी जानी चाहिए,

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति (या खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति हो) तकनिकी विशेषज्ञता संबंधी योग्यता में छूट नहीं दी जायगी।

(i) विभागीय प्रोन्नति समिति :

विश्वविद्यालय के 'बी' एवं 'सी' श्रेणियों के शिक्षकोंतर कर्मियों की प्रोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायगी।

भिन्न-भिन्न संवर्गों के पदों के लिए भिन्न-भिन्न स्तर हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की सरचना वही होगी जो वैसे पदों/ सम्बर्गों हेतु इस परिनियम में विहित किया गया है।

(ii) सीधी भर्ती या विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हेतु विज्ञापन का प्रस्ताव :

किसी भी विभाग / कार्यालय में 'बी' या 'सी' श्रेणी के पदों के लिए किसी स्थायी / अस्थायी परन्तु स्थायी होने हेतु संभावित अस्थायी रिक्ति जो एक वर्ष से ज्यादा अवधि हेतु हो, के लिए विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रधान द्वारा रिक्ति विज्ञापन या विभागीय प्रोन्नति कमिटी की बैठक का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

(iii) विश्वविद्यालय स्थापना शाखा द्वारा प्रस्ताव की जाँच :

(a) सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन या विभागीय प्रोन्नति कमिटी की बैठक, जो भी हो, हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय स्थापना शाखा या चयन समिति प्रभाग इस प्रस्ताव का जाँच करेगा एवं सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन, यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित रिक्ति खुले विज्ञापन द्वारा भरे जाने योग्य है या विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति द्वारा।

(b) यदि कुलपति द्वारा तय किया जाता है कि प्रश्नगत पद खुले बहाली द्वारा भरा जाएगा तो चयन समिति प्रभाग रिक्ति के सामान्य विज्ञापन हेतु आवश्यक कदम डायग्राफ एवं रिक्ति प्राधिकार रिक्ति मांड़ा को विज्ञापन हेतु भेजे जाने की कार्रवाई करेगा।

(c) यदि कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाता है कि प्रश्नगत पद विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा अनुशोधित व्यक्ति द्वारा प्रोन्नति से भरा जाएगा तब चयन समिति प्रभाग द्वारा पद विज्ञापित नहीं किया जायगा परन्तु पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनायी जायगी।

(iv) उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन का प्रस्तुतीकरण :

(a) सम्बद्ध संवर्ग के पिछले निम्न पदधारक उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों को चयन समिति प्रभाग द्वारा जाँच की जायगी। सर्वप्रथम चयन समिति प्रभाग द्वारा पद हेतु निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता की जाँच की जायगी एवं सभी उम्मीदवारों में से प्रोन्नति योग्य उम्मीदवार की पात्रता को यहचान सुनिश्चित की जायगी ;

(b) इसके बाद चयन समिति प्रभाग वरीयता क्रम में पात्र उम्मीदवारों को क्रमांकित करेगा तथा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों के अधिकतम ५ पाँच गुणा पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा। शेष वचे उम्मीदवार खाली पद पर प्रोन्नति हेतु विचारित नहीं होंगे, प्रोन्नति समिति इसे जाँच कर लेगी।

(v) विभागीय परीक्षा

(i) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कर्मियों के सेवा सम्पूर्णित एवं प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय स्तर का विभागीय परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में दो बार किया जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय के विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् होगा :

क. विभागीय परीक्षा दो पत्रों में होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र एक-एक सौ पूँजीक के होंगे। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ख. प्रथम पत्र- हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण का ज्ञान, वित्त एवं लेखा, क्रय, सेवा नियमाबली, कार्यालय प्रबंधन, स्थापना एवं बजट तथा कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान।

ग. द्वितीय पत्र- विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में परिनियमों/ विनियमों/ अध्यादेशों/ नियमों के साध-साध विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित निर्गत पत्रों, राज्यादेशों तथा संकल्पों की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(vi) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में विचारण हेतु सिद्धांत :

(a) किसी पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति/प्रोन्नति समिति को अनुशंसा पर ही की जा सकेगी। इस तरह की प्रोन्नति में वरीयता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा।

(b) किसी उम्मीदवार की प्रोन्नति हेतु उपयुक्तता का निर्णय निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर किया जायगा :

(i) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (कम से कम विगत 3 वर्षों का)

(ii) अंतर्बोक्षा (साक्षात्कार)

(iii) विभागीय परीक्षा ।

(c) साक्षात्कार हेतु अधिकतम 50 अंक ही समनुदेशित किए जाएंगे, विभागीय प्रोन्नति समिति को भी साक्षात्कार के समय वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर भी (विगत 3 वर्षों का) ध्यान देना होगा और तब साक्षात्कार हेतु अंक (Marks) दिया जायगा।

(d) इसके बाद प्रोन्नति समिति के द्वारा साक्षात्कार एवं विभागीय परीक्षा में मिले अंक को जोड़कर योग (Aggregate) तैयार किया जायगा। प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु स्वविवेकानुसार न्यूनतम अंक निर्धारित किया जायगा। इस तरह उपयुक्त उम्मीदवार पहचान कर लिए जाएंगे और तब वरीयता के आधार पर प्रोन्नति हेतु नाम की अनुशंसा की जायगी।

(e) प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में पूर्व न्यून पद पर कायम वरीयता ही मानी जायगी।

(f) विभागीय प्रोन्नति समिति निर्धारित फार्म में ही प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगी।

(vii) प्रोन्नति कोटा से बचे गये खाली पदों को खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति कोटा में स्थानांतरण के नियम :-

- (a) प्रोन्नति कोटा से बचे पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति हेतु सूची तैयार कर प्रोन्नति समिति को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित की जायगी। प्रोन्नति समिति नियुक्ति हेतु नाम को अनुशंसा करेगी। उपलब्ध रिक्ति का पौँचगुण अधिक उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
- (b) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति चयन समिति द्वारा निर्मित पैनल में उम्मीदवारों की संख्या जरूरत के अनुसार नहीं पाती है तो चयन समिति प्रभाग शेष बचे पात्र उम्मीदवारों को सूची तैयार कर पुनः विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक द्वितीय पैनेल से प्रोन्नति हेतु पात्र उम्मीदवारों से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु आयोजित करेगी।
- (c) यदि प्रथम और द्वितीय पैनेल से अनुशंसित नामों से अधिक पद प्रोन्नति कोटा में शेष रह जाता है तो ऐसी परिस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा शेष बचे पदों को प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति कोटा से खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति कोटा में स्थानांतरित कर दिया जायगा। इसके बाद चयन समिति प्रभाग खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाकर रिक्तियों को भर सकेगी।
- (d) इस ढंग से प्रोन्नति कोटा के पद को खुली नियुक्ति कोटा पद के रूप में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- (e) प्रोन्नति कोटा के इस तरह शेष बचे पद को आगे भविष्य के लिए बचाकर नहीं रखा जायगा बल्कि ऐसे सभी पदों को विज्ञापित कर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी।

(viii) नियुक्ति आदेश का निर्गत होना :-

- (a) विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुशंसा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भेजा जायगा। कुलसचिव द्वारा कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश निर्गत किया जायगा।
- (b) नियुक्ति आदेश पत्र निर्गत करते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि अमुक नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा या अमुक नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा की गयी है। प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति में इस बात का उल्लेख रखना आवश्यक होगा कि इस नियुक्ति से इन्टर से नियरिटी (Inter se-seniority) व्याधित नहीं होगी।

(ix) संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति:

विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रधान को अनुशंसा पर कुलपति के अनुमोदनोपरान्त एक वर्ष की अवधि या उससे कम अवधि हेतु संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधार पर पद के अनुरूप योगताधारी उम्मीदवारों को नियुक्ति किया जा सकेगा। अस्थायी परन्तु स्थायी हो जाने को संभावित/ दीर्घावधि

अस्थायी रिक्तियों के सर्विदा अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने की स्थिति में कुलपति की अध्यक्षता में मठित समिति के अनुमोदन पर को जा सकेगी बशर्ते कि विभागाध्यक्ष/ कार्यालय प्रधान ने इस आशय का प्रस्ताव कुलसचिव को प्रेषित किया हो कि इन रिक्तियों को नहीं भरने से कार्य बाधित होगा। इस तरह से की गयी नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र या ग्यारह माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, के बाद स्वतः समाप्त समझौ जाएगी ;

(x) अन्य प्रावधान : (a) प्रोन्ति कोटा से भरे जाने हेतु यदि पर्याप्त मात्रा में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे स्वित पद का स्थानांतरण खुली नियुक्ति कोटा में कुलपति की सहमति से किया जा सकेगा तथा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा कि पूर्व में नहीं भरे गये पद आगे भी इसी कोटा में बने रहेंगे।

(b) अंधा/ शारीरिक रूप से निःशक्त/ विकलांग व्यक्ति, स्त्री एवं अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु आरक्षण नियम राज्य सरकार द्वारा इस आशय हेतु बनाया गया नियम कठोरता से लागू होगा।

(c) विश्वविद्यालय के कर्मियों को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किसी भी इकाई/ विश्वविद्यालय विभाग/ या विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी संस्थान में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(xi) नियंत्री पदाधिकारी :

- (i) कुलसचिव विश्वविद्यालय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी, सचिवीय, अनुसंचिवीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- (ii) महाविद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे।
- (iii) विश्वविद्यालय विभाग एवं अन्य संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी विभागाध्यक्ष या संस्थान के प्रधान होंगे।
- (iv) कुलसचिव के नियंत्री पदाधिकारी कुलपति होंगे।

9. प्रोन्ति समिति का गठन :

प्रोन्ति समिति के गठन और इससे संबंधित प्रावधान वे ही होंगे, जिनका उल्लेख राज्यपाल सचिवालय के दिनांक 20.12.1986 के पत्र संख्या थी०एस०य० 25/84-3965/जी०एस० में परिनियम प्रोन्ति समिति के संबंध में उल्लिखित है।

10. प्रोन्ति के निमित्त, विश्वविद्यालय कार्यालय, इसकी सम्बद्ध इकाइयाँ, स्नातकोत्तर विभाग, स्नातकोत्तर केन्द्र और संस्थान (स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा देने वाले) की एक इकाई होगी जिसे इकाई-I कहा जायगा एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालय और संस्थानों (स्नातक स्तर तक शिक्षा देने वाले) की अलग एक इकाई होगी, जिसे इकाई-II कहा जायगा।

11. सामान्य अनुदेश :

प्रोन्नति कठिन परिश्रम, सदाचरण और परिणामोनुखी कार्य सम्पादन के आधार पर प्राप्त होती है जो गोपनीय चरित्रपंजी में झलकती है। केवल एक दूसरे से अधिक कार्य सम्पादन से ही कोई कर्मचारी प्रोन्नति के रूप में इमान और सम्मान का हकदार होता है। जबकि 'आँसत' प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं है, किन्तु इसे समूरक नहीं माना जा सकता।

12. गोपनीय प्रतिवेदन :

गोपनीय प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कर्मचारी का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन है। प्रोन्नति, सेवा-सम्मुचित, समयपूर्व सेवा निवृति के लिए समीक्षा आदि हेतु गोपनीय प्रतिवेदन मुख्य कसौटी है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन रखा जाना चाहिए। सम्बद्ध शिक्षकेतर कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन प्रशाखा के प्रभारी प्राधिकारी/ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/ अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा लिखा जाना चाहिए और इसकी समीक्षा कुलपति द्वारा की जानी चाहिए। यदि वह कर्मचारी संबंधी है, तो स्थिति के अनुसार प्रतिवेदन लिखाने या समीक्षा का कार्य कुलपति/कुलसचिव द्वारा किया जा सकता है। निलंबन/ अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन कर्मचारी की वरीयता पूर्वत होगी, यदि वह पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है या निलंबन अनुचित करार दिया जाता है तो उसे प्रोन्नति उपलब्ध पहली रिक्ति पर दी जाएगी। अगले उच्च पद पर प्रोन्नति की प्राप्ति के निमित, उनके सेवा अवधि की गणना उसी दिन से प्रोन्नति माना जाएगा, जिस दिन से उसके कर्नीय की प्रोन्नति हुई होगी।

13. इकाई I या इकाई II के सहायक/ उच्च वर्गीय लिपिक का पद मेघा-सह-वरीयता के साथ-साथ सम्बद्ध कर्मचारियों के पिछले पाँच वर्षों के गोपनीय चरित्र पंजी/ संसूचन/ कार्य सम्पादन को ध्यान में रखते हुए भरा जाएगा। सभी कर्मचारियों की चरित्र-पंजी रखी जाएगी। विभागाध्यक्ष अपने विभाग तथा प्रधानाचार्य अपने महाविद्यालय में पदस्थापित कर्मचारी की चरित्र पंजी प्रति वर्ष कुलसचिव को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, अधिमानतः प्रति वर्ष 31 दिसम्बर के पहले।

14. गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविहित कार्य-सम्पादन से संबंधित एवं साथ-ही-साथ मूल गुण और संभावनाओं के बारे में सभी प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ संबद्ध कर्मचारी को, कुलपति/कुल सचिव द्वारा संसूचित की जाएगी, कुलपति अपीलीय प्राधिकार होंगे।

15. प्रोन्नति का मुख्य मापदण्ड मेघा-सह-वरीयता होगा जिसके निमित सेवा-अभिलेख और विगत पाँच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

16. वरीयता या पात्रता के संबंध में विवाद होने पर मामला कुलपति के पास भेजा जाएगा। कुलपति को यह अधिकार होगा कि वे कर्मचारी की चरित्र-पंजी में अंकित प्रतिकूल अभ्युक्ति को हटा दें।

17. निरसन और संरक्षा :

इस परिनियम की परिशिष्ट में सम्मिलित सभी पदों पर नियुक्ति से संबंधित सभी पूर्व आदेश/ अभियाद या अन्य प्राधिकार के निर्णय एतद् द्वारा निरस्त समझा जाएगा। परन्तु किए गए विश्वविद्यालय अधिनियम एवं

इसके अधीन गठित परिनियम में निहित प्रावधारों तथा सक्षम सार से निर्गत विभागीय निर्देशों के अधीन किये गये कार्य, किसी भी रूप में प्रभावित न होंगे।

राज्य सरकार के आदेश को अनुरूप, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमूलित जाति, अनुमूलित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अपंग व्यक्तियों, पूर्व-सेवकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण, आयु-सीमा में छट और अन्य अपेक्षित छतों पर इन नियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. याधाओं का निराकरण :

यदि इन नियमों के कार्यान्वयन या प्रवर्तन में कोई बाधाएँ उत्पन्न होगी, तो कुलपति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर ऐसी बाधाओं को दूर करने के निमित्त आवश्यक सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकते हैं, चलते हे विश्वविद्यालय अधिनियम एवं इसके अधीन गठित परिनियम में निहित प्रावधानों अथवा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत नियमों के प्रतिकूल न हों।

1314
250 255
150 155 160
200 205 210
250 255

परिशिष्ट-1

राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं
कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रक्रिया
एवं प्रोन्नति के निमित्त पद सोपान

राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पद

1. सहायक कुल सचिव एवं समतुल्य पदों का पद सोपान/ पद संवर्ग

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	स्वीकृत पदों की संख्या	यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को धारित करने पर		यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को धारित नहीं करने पर	
				वेतन बैंड	ग्रेड पे	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	5	6
1	सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य पद	क	66	15600-39100	5400	9300-34800	4200
2	उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद	क	33	15600-39100	7600	9300-34800	4200
3	महाविद्यालय निरीक्षक, परीक्षा महानियंत्रक	क	33	37400-67000	10000	15600-39100	7600

बिहार विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के शिक्षकेतर पदाधिकारियों के पद निम्नवत् होंगे:-

- (i) सहायक कुलसचिव के समतुल्य पद :- विकास पदाधिकारी/ युवा कल्याण पदाधिकारी/ योजना पदाधिकारी/ सहायक वित्त पदाधिकारी/ सहायक परीक्षा नियंत्रक के पद होंगे।
- (ii) उप कुलसचिव के समतुल्य पद :- वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के पद होंगे।
- (iii) महाविद्यालय निरीक्षक के समतुल्य पद :- परीक्षा महानियंत्रक के पद होंगे

बिहार विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा के शिक्षकेतर पदाधिकारियों के प्रोन्ति का क्रम निम्नवत् होंगे:-

- (i) सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष पद से उप कुलसचिव एवं समकक्ष पद पर।
- (ii) उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद से कुलसचिव एवं समतुल्य पद पर।

सहायक कुल सचिव एवं समतुल्य पदों पर सीधी भर्ती/प्रोन्ति के प्रक्रिया निम्न प्रकार होंगे:-

पद का नाम : सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य पद :-

विकास पदाधिकारी/ युवा कल्याण पदाधिकारी/ योजना पदाधिकारी/
सहायक वित्त पदाधिकारी/ सहायक परीक्षा नियंत्रक

पद समूह : समूह 'क'

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता : सीधी नियुक्ति के लिए य०जी०सी० विनियम के आधार पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष 7 च्वाईट स्केल में ग्रेड 'बी०' के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड अनिवार्य होंगे।

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए प्राप्तांक में 5 प्रतिशत का छूट होगा।)

बेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 पी०बी० 3

बेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी०बी० 2

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) द्वारा विश्वविद्यालय सेलेक्सन कमिटी की अनुशंसा पर पी०बी०-३ ग्रेड पे-5400 अन्यथा पी०बी०-२ ग्रेड पे-4200 अनुमान्य होगा।

(8 वर्ष तक इस ग्रेड-पे में रहने पर बेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पी०बी० 3 अनुमान्य होगा। बताते कि उन्होंने शैक्षणिक प्रशासन में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक करीब चार सप्ताह का भाग लिया हो तथा उनका मूल्यांकन कार्य संतोषप्रद हो। बेतन संरचना य०जी०सी० द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर होंगे।)

आयु सीमा: सीधी नियुक्ति में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार होगा।

सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति: राज्य सरकार द्वारा सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य कुल सूचित/ स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा एवं 25 प्रतिशत पद प्रशाखा पदाधिकारी के पद से प्रोन्ति द्वारा भरे जायेंगे।

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) बिहार, पटना द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में गठित चयन समिति आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित एवं अनुशासित मेधा सूची से सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य पदों के कुल स्वीकृत पदों

का ७५ प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।

समिति का पैनल पहली अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष तक चैध माना जाएगा।

इन वर्षों पर वर्णित शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान प्रोन्ति से भरे जाने की स्थिति में लागू नहीं होगा।

सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम/ रोस्टर का अनुपालन किया जायगा।

कालावधि: ७ वर्षों की कालावधि पूरा करना अनिवार्य होगा।

परिवीक्षा अवधि : परीक्षयमान की अवधि सीधी नियुक्ति की तिथि से २ वर्षों की होगी।

उप कुलसचिव एवं समतुल्य पद पर प्रोन्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में चयन समिति द्वारा प्रोन्ति के निमित्त सहायक कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेतर पदाधिकारियों को अद्यतन समेकित वरीयता कोटि ड्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, सेवा सम्पूर्णि, विश्वविद्यालयी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, आरोप, विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्री अभियुक्तियाँ एवं कालावधि से उत्तीर्णता, आरोप, विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्री अभियुक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति द्वारा उप कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेतर पदाधिकारियों का शतप्रतिशत पद प्रोन्ति से भरे जायेंगे।

उप कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेतर पदाधिकारियों का शतप्रतिशत पद प्रोन्ति से भरे जायेंगे। उप कुलसचिव को राज्य सरकार द्वारा कालावधि समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे। उप कुलसचिव को पाँच वर्षों तक की संतोषप्रद सेवावधि पूरा करने पर ३७४००-६७००० ग्रेड पे ८७०० में उत्कमित हो सकेंगे।

कुलसचिव एवं समतुल्य पद पर प्रोन्ति

विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में चयन समिति द्वारा प्रोन्ति देने के निमित्त उप-कुलसचिव एवं समतुल्य पदाधिकारियों के अद्यतन समेकित वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, आरोप, विगत पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्री अभियुक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति द्वारा कुलसचिव एवं समतुल्य शिक्षकेतर पदाधिकारियों का पद प्रोन्ति से भरे जाएंगे।

2. विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के सहायक संचार का पद सोधान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	निम्न वर्गीय लिपिक	ग	5200-20200	1900
2	उच्च वर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)	ग	5200-20200	2400
3	सहायक	ख	9300-34800	4200
4	प्रशास्त्रीय प्रशास्त्रीय एवं समतुल्य पद	ख	9300-34800	4200

- लिपिकीय संचार के विभिन्न पदनामों से पदनामित यथा- शॉर्टर (लाईब्रेरी क्लर्क)/ पुस्तकालय लिपिक/ सेन्ट्रल डिस्पेंसरी सहायक/ शॉर्टर कम एकाउन्टेंट (स्नातकोत्तर इतिहास विभाग) संबंधित विभागों एवं संबद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से नियमितः पदनामित किया जाएगा।
- लेखापाल सह विशेष सहायक (कार्य विभाग) का पद उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित किया जायगा।
- पुस्तकालयों में पदस्थापित प्रोफेशनल सहायक के पद को सहायक के रूप में पदनामित किया जायेगा।

६१३१५

1. पद का नाम :	निम्न वर्गीय लिपिक (वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8826 दिनांक 20.12.2000 की कोडिका 3 एवं 4 के प्रावधान के आधार पर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय पदों को विलेपित कर निम्न वर्गीय लिपिक के पदोंमें सीधी नियुक्ति का प्रावधान है।)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा कम्यूटर डी0सी0ए0 के साथ कम्यूटर टंकण में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिन्दी में 25 शब्द एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टंकण दक्षता अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी0बी01
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति	<p>विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेंदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>लिपिकीय संवर्ग के 40 प्रतिशत पद उच्च वर्गीय लिपिक तथा 60 प्रतिशत पद निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे।</p> <p>निम्न वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) से उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) के पद पर प्रोनंति की जायगी।</p> <p>(वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8826 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कोडिका 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के एकीकृत पदों को पृथक (डिमर्ज) कर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर सीधी नियुक्ति (वेतनमात्र 3050-4590/-रु०) किये जाने का प्रावधान किया गया।)</p> <p>वरीयता सूची का संधारण - विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए समेकित वरीयता सूची यथा- निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक</p>

	<p>एवं प्रशास्ता पदाधिकारी का समेकित रूप से अलग-अलग कोटि का वरीयता कोटि क्रमांक सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण गोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 8 साल
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	उच्च वर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) (वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8826 दिनांक 20.12.2000 के आलोक में दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से भारापाल, टैक, कैशियर, लिपिकीय संवर्ग के सभी घटों पर कार्यालय कर्मी सम्मिलित।)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0बी01
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति	<p>विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार प्रोन्नति समिति द्वारा निम्न वर्गीय लिपिकों को विश्वविद्यालय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता/ सेवा सम्पूर्ण/ आरोप/ वार्धिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर उच्च वर्गीय लिपिक के पद भरे जायेंगे।</p> <p>(वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8826 (वि0) दिनांक 20.12.2000 की कोडिका 3 एवं 4 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से लिपिकीय संवर्ग यथा पुस्तकालय सहायक, शॉर्टर, पत्राचार लिपिक, दिनचर्या लिपिक, विपत्र लिपिक,</p>

	<p>भंडारपाल, उंकल, कैशियर के एकोकृत सभी पदों को पृथक् (डिमर्ज) कर उच्च वर्गीय लिपिक के पदनाम (वेतनमान 4000-6000/- रु.) से पदनामित किया गया है) उच्च वर्गीय लिपिक का पद पूर्णतः प्रोन्ति का पद है। यह प्रावधान विश्वविद्यालय कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी है।</p> <p>लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदनामों से पदनामित यथा-उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)/ भंडारपाल/ स्टोर कीपर संबंधित विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम उच्च वर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा) के पदनाम से नियमतः पदनामित किया जाएगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के लिए 10 साल
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं होंगे।

१०३१५
रुक्त के० हिंह
राज्य सरकार
राज्य सरकार

1. पद का नाम :	सहायक
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान आवश्यक होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा। प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>i. विश्वविद्यालय के सहायकों का पद मूल पद होगा। विश्वविद्यालय एवं उनके संलग्न स्नातकोत्तर विभाग/कार्यालयों के सहायकों का कुल स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायगी। चयन समिति लिखित परीक्षाफल के मेंदा सूची के आधार पर अनुशासित/ चयनित उम्मीदवार का पैनल विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा। विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासित/ चयनित उम्मीदवारों के पैनल से नियुक्ति की जायगी।</p> <p>संस्था द्वारा अनुशासित पैनल अनुशंसा की तिथि से पैनल एक वर्ष तक वैध माना जाएगा।</p> <p>ii. विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा विहित गठित प्रोन्ति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्ति से उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संबंध) की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालयी विभागीय परीक्षा में डलीर्णता/ आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभियुक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अधिलेखों की सम्पर्क जांचोपरांत सहायक के पदों को प्रोन्ति से भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के लिए 5 साल
8. परिवीक्षा अवधि :	सीधी योगदान की तिथि से दो वर्ष। प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।



1. पद का नाम :	प्रशाखा पदाधिकारी एवं समतुल्य पद सुपरवाइजर मेल्स एण्ड प्रिलकेशन
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. वेतन संरचना :	प्रवेश बिन्दु पर वेतन बैंड 9300-34800 घेड पे-4200; पी0बी0-2
4. नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी का शास्त्र प्रतिशत पद सहायक के पद से विश्वविद्यालय परिनियम द्वारा विहित एवं गठित प्रोन्ति समिति द्वारा सहायकों (विश्वविद्यालय सहायक संघर्ग) की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार, सेवा सम्पूर्णि, विश्वविद्यालय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, आरोप, विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभियुक्तियाँ एवं कालावधि के सम्यक जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्ति से भरे जायेंगे।</p> <p>प्रोन्ति के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
5. कालावधि :	प्रोन्ति के लिए 8 माल
6. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

श्री।।।।।
राज० के० सिंह
राज्यालय के अवर सचिव,
दिल्ली, ददृश-22.

३. विश्वविद्यालय/स्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के समूह 'ख' के कर्मियों का पद सोपान
(ग्रेड पे 4200)

विश्वविद्यालय के अभियंता पद का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
१	२	३	४	५
१	कनीय अभियंता	ख	9300-34800	4200
२	सहायक अभियंता	ख	9300-34800	5400
३	विश्वविद्यालय अभियंता	क	15600-39100	6600

महाविद्यालय के कनीय अभियंता के पदों को भी विश्वविद्यालय अभियंता संबंधी के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

१. पद का नाम :	कनीय अभियंता
२. पद समूह :	समूह 'ख'
३. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकता :	किसी मान्यता विश्वविद्यालय से सिविल/ इलेक्ट्रीकल/ मैकेनिकल में स्नातक के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव या डिप्लोमा तथा तीन वर्षों का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।
४. वेतन संरचना :	वेतन बैंड ९३००-३४८०० ग्रेड पे-४२०० पी०बी० २
५. आयु सीमा :	न्यूनतम २१ वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
६. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेंद्रा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति कुलाधिपति के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
७. कालावधि :	प्रोनंति के लिए ४ साल (स्नातक डिप्लोमाहारियों को ५ साल)
८. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।



1. पद का नाम :	सहायक अधियंता
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक आहता :	प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैपड ९३००-३४८०० घोड धे-५४०० पी०वी० २
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त यदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्मुच्छि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कनीय अधियंता के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>प्रोन्नति उन्हीं व्यक्ति को दी जायेगी जिन्हें किसी अधियंत्रण शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए ५ साल
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

द्वादश।६

1. पद का नाम :	विश्वविद्यालय अभियंता
2. पद समूह :	समूह 'क'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे-6600 पी0बी0 3
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मापदण्ड पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सहायक अभियंता के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति की स्थिति में लागू नहीं।

१०३/१५
रब० के० टिंड
राज्य सरकार के अधीक्षण
प्रदेश विभाग-२२

आकॉलॉजिक कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०) एवं समतुल्य पद का पदसोधान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	गेड पे
1	2	3	4	5
1	आकॉलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०) माइक्रो एनालिस्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी०जी० रसायन विज्ञान) इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी०जी० भौतिकी विज्ञान)	ख	9300-34800	4200
2	आकॉलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०) माइक्रो एनालिस्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी०जी० रसायन विज्ञान) इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी०जी० भौतिकी विज्ञान)	ग्रेड-1	ख	9300-34800
3	आकॉलॉजिकल कैमिस्ट (ए०आई०एच०ए०) माइक्रो एनालिस्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी०जी० रसायन विज्ञान) इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी०जी० भौतिकी विज्ञान)	ग्रेड-2	ख	9300-34800
				4800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्णकित किया जायेगा।

१०८/१८
१०८/१८
१०८/१८
१०८/१८

1. पद का नाम :	आकॉलोजिकल कैमिस्ट (ए)आई(एच)ए)
2. पद समूह :	माइक्रो एनालिस्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिस्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी0जी0 रसायन विज्ञान) इलेक्ट्रॉनिक टेक्निसियन (पी0जी0 भौतिकी विज्ञान)
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	समूह 'ख'
4. वेतन संरचना :	किसी मान्यता विश्वविद्यालय से संबंधित विषय भौतिकी विज्ञान/ रसायन विज्ञान में स्नातक।
5. आयु सीमा :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2 न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशोधित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों को वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बद्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति को लिए 2 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।



सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5	
1	सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट	ख	9300-34800	4200	
2	सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट	ग्रेड-1	ख	9300-34800	4600
3	सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट	ग्रेड-2	ख	9300-34800	4800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	सिनियर टेक्निकल सहायक (स्नातकोत्तर विभाग) एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	सिनियर टेक्निकल महायक- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री या भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा एक्सप्लोरेशन एण्ड टेक्निकल असिस्टेंट- प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातात्व में स्नातक डिग्री
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।

	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेधा सूची से अनुशोसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार की जायेगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के बिरुद्ध प्रोन्ति के मापदले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अधिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	
7. कालावधि :	मूल पद से घेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं घेड-1 से घेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 2 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

५३१५
द्वितीय
एवं दूसरे वर्ष
परिवीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन
प्रक्रिया दिनांक २३ अक्टूबर २०११

आर्किटेक्चरल प्रारूपक एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर	ख	9300-34800	4200
2	आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर	ग्रेड-1	ख	9300-34800
3	आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर	ग्रेड-2	ख	9300-34800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	आर्किटेक्चरल प्रारूपक प्रधान आर्किटेक्चरल ओभरसियर
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर में डिप्लोमा के साथ दो वर्षों का संबोधित क्षेत्र में कार्यानुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी० 2
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोनति :	नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर भेदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 2 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

५३१६
एन० के० द्विंद
राज्यपाल के अव० सदित्र,
दिल्ली, पटना-२२

सांख्यिकी विद् का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	सांख्यिकी विद्	ख	9300-34800	4200
2	सांख्यिकी विद् (ग्रेड-1)	ख	9300-34800	4600
3	सांख्यिकी विद् (ग्रेड-2)	ख	9300-34800	4800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	सांख्यिकी विद्
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पीठबी० 2
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उप्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति	विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेधा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

३५३१५
२० दिसंबर
लिखा.

1. पद का नाम :	सांखिकी विद् (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर सांखिकी विद् पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>गन्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं।

३१५
३० फर

1. पद का नाम :	सार्विकी विद् (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं
4. बेतन संरचना :	बेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4800 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति को अनुशंसा पर सार्विकी विद् (ग्रेड 1) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोम्पर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं।

३१/१५

4. विश्वविद्यालय/ स्नातकोन्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2800)

कैटलगर एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन ग्रेड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	कैटलगर क्लासिफायर पुस्तकाध्यक्ष सहायक पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय सहायक पी०एल० असिस्टेंट विशेष सहायक		ग 5200-20200	2800
2	कैटलगर क्लासिफायर पुस्तकाध्यक्ष सहायक पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय सहायक पी०एल० असिस्टेंट विशेष सहायक	ग्रेड-1	ख 9300-34800	4200
3	कैटलगर क्लासिफायर पुस्तकाध्यक्ष सहायक पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय सहायक पी०एल० असिस्टेंट विशेष सहायक	ग्रेड-2	ख 9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्ठाकित किया जायेगा।

४६७।६

1. पद का नाम :	कैंटलगर ब्लासिफायर पुस्तकाध्यक्ष सहायक पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय सहायक पीएल० अमिस्टेंट विशेष सहायक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सांघी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्मुखि, विभागीय आरोप एवं विगत तीनवर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति को अनुशासा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-। पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 6 वर्ष एवं ग्रेड-। से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 5 वर्ष पूँछ करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

माईक्रो फोटोग्राफर एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन ग्रेड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	माईक्रो फोटोग्राफर आकॉलॉजी फोटोग्राफर पेटिंग इनस्ट्रक्टर	ग	5200-20200	2800
2	माईक्रो फोटोग्राफर आकॉलॉजी फोटोग्राफर पेटिंग इनस्ट्रक्टर	ग्रेड-1	ख	9300-34800
3	माईक्रो फोटोग्राफर आकॉलॉजी फोटोग्राफर पेटिंग इनस्ट्रक्टर	ग्रेड-2	ख	9300-34800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

द्वारा १५ दिन
२०१४

1. पद का नाम :	माईक्रो फोटोग्राफर आकॉलॉन्जी फोटोग्राफर पेटिंग इनस्ट्रूक्टर
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से आर्ट (फोटोग्राफी) में डिग्री/ डिप्लोमा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विलङ्घ प्रोन्ति के मापदण्ड पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति को अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति को लिए कालावधि 6 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

अंकेक्षक का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	अंकेक्षक	ग	5200-20200	2800
2	अंकेक्षक (ग्रेड 1)	ख	9300-34800	4200
3	अंकेक्षक (ग्रेड-2) (आंतरिक अंकेक्षक)	ख	9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से ज्यादा पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणांकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	अंकेक्षक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कला गणित के साथ या स्नातक विज्ञान गणित के साथ अथवा बाणिज्य स्नातक होना अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	अंकेक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेंदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। सहायक अंकेक्षक का पद राज्य सरकार में सृजित नहीं है। (वित्त विभाग का संकल्प/ज्ञापांक संख्या 5449 दिनांक 19.08.06) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोलर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनति के मामले में 6 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	अंकेश्वक (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर अंकेश्वक के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>एन्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में ५ वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।

१०३१५

1. पद का नाम :	अंकेक्षक (ग्रेड-2) (आंतरिक अंकेक्षक)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर अंकेक्षक (ग्रेड 1) के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवेक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।

५०३१५
राज्य के० सिंह
राज्यपाल के उपर दाखिल,
जिहार, राज्य-२२

कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सोचान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	ग	5200-20200	2800
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड १)	ख	9300-34800	4200
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-२)	ख	9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-१ एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-२ के पद होंगे। यदि ५ से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्ठित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं समतुल्य पद कम्प्यूटर ऑपरेटर (कनीय)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	स्नातक डिग्री के साथ डाटा इन्फ्री एवं शब्द प्रक्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी०बी० १
5. आयु सीमा :	न्यूनतम २१ वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम में निहित प्रक्रिया के द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में ६ वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

१३१५
दिसंबर
२०१३



1. पद का नाम :	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>गव्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा। (ग्रेड-1)

1. पद का नाम :	कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत</p>

	<p>रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड 1) के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

१०/३/१५
के० सिंह
प्र० न० न०

सर्वेयर (पी०जी०) का पद सोचान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	सर्वेयर (पी०जी०)	ग	5200-20200	2800
2	सर्वेयर (पी०जी०) (ग्रेड १)	ख	9300-34800	4200
3	सर्वेयर (पी०जी०) (ग्रेड-२)	ख	9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-१ एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-२ के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्णकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	सर्वेयर (पी०जी०)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक के साथ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण-पत्र।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी०जी० १
5. आयु सीमा :	न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों को नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनति के मामले में ६ वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

५१३१५
नं० ५० छ० टिंडल
२२ अव० स० स०

1. पद का नाम :	सर्वेयर (पी0जी0) (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति को अनुशंसा पर सर्वेयर (पी0जी0) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

दोषान्तर
 एवं क्रोध के लिए स्थिर
 राज्य सरकार के द्वारा संचालित
 दोषान्तर अधिकारी के द्वारा दिया गया है।

1. पद का नाम :	सर्वेयर (पी०जी०) (ग्रेड-२)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. बेतन संरचना :	बेतन थैंड 9300-34800 ग्रेड चे-4600 पी०बी० २
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत सिक्ति पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की चार्जिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सर्वेयर (पी०जी०) (ग्रेड १) पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>सन्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

५३१९
२५५
५००
५००

इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन का पद सौधान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन/ लैब इंचार्ज (ग्रेजुएट)	ग	5200-20200	2800
2	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन/ लैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड-1)	ख	9300-34800	4200
3	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन/ लैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड-2)	ख	9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) को सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन/ लैब इंचार्ज (ग्रेजुएट)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों को नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 6 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन/ लैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0वी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्थीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद घरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

राज्य
क्र० क० सिंह
राज्य सरकार सचिव
प्रा-22

1. पद का नाम :	इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तकनिसियन/ सैब इंचार्ज (ग्रेजुएट) (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड ये-4600 पी0वी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

५८३१५
२००० रूपै
प्रोन्ति

5. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'ग' के प्रयोगशाला इकाई के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2400)

लैब-इन्वार्ज एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	लैब-इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)	ग	5200-20200	2400
2	लैब-इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)	ग्रेड-१	ग	5200-20200
3	लैब-इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी०जी० भूगोल)	ग्रेड-२	ख	9300-34800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-१ एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-२ के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

८३१५

1. पद का नाम :	लैब-इन्वार्ज (आईएस0सी0) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक मैप प्रोसेसिंग असिस्टेंट (पी0जी0 भूगोल)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से आईएस0सी0 होना अनिवार्य है। (विज्ञान संकाय से भिन्न प्रायोगिक विषयों में नियुक्त होने वाले प्रयोगशाला प्रभारी को संबोधित विषयों में इन्टरमीडिएट की योग्यता अनिवार्य होगी।)
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्नति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशोधित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्नति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबोधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नत पद परे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्नति के लिए 6 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

आशुटंकक का पद सौपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	बैंड पे
1	2	3	4	5
1	आशुटंकक	ग	5200-20200	2400
2	आशुटंकक (बैंड 1)	ख	9300-34800	4200
3	आशुटंकक (बैंड 2) एवं समतुल्य पद	ख	9300-34800	4600

- कुलपति के निजी सहायक को आशुटंकक बैंड-1 का समतुल्य पद माना जायेगा।
- उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत बैंड-1 एवं 20 प्रतिशत बैंड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	आशुटंकक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से इन्टरमीडिएट डिप्लोमा एवं आशुटंकण (हिन्दी, अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट गति अनिवार्य होगा। वांछनीय कम्प्यूटर में डी0सी0ए0।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 बैंड पे-2400 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के भेदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 10 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	आशुटंकक (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>आशुटंकक (ग्रेड-1) का समतुल्य पद कुलपति के निजी सहायक का पद होगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

८०३१५
एन० क०० सिंह
प्र० उत्तर के उत्तर सचिव,
१८१, १८१-७२

1. पद का नाम :	आशुटंकक (ग्रेड 2) एवं समतुल्य पद
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन छैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्ण, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अधिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर आशुटंकक (ग्रेड-1) के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

कौशल
कौशल
कौशल
कौशल

कलाकार-सह-सांख्यिकी विद् का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	कलाकार-सह-सांख्यिकी विद्	ग	5200-20200	2400
2	कलाकार-सह-सांख्यिकी विद् (ग्रेड-1)	ग	5200-20200	2800
3	कलाकार-सह-सांख्यिकी विद् (ग्रेड-2)	ख	9300-34800	4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	कलाकार-सह-सांख्यिकी विद्
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला में डिग्री।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मेघा सूची से अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 वर्षों को कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	कलाकार-सह-सांखियकी विद् (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा चरीयता कोटि क्रमांक सूची के चरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विवर तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर कलाकार-सह-सांखियकी विद् पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>गृज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 6 वर्षों की कालावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

१०३।५
एल० क्र० हिंह
सम्पादक के अव० समिति,
लिपार, पटा-२२

1. पद का नाम :	कलाकार-सह-सांख्यिकी विद् (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोनंति :	<p>शिशविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर कलाकार-सह-सांख्यिकी विद् (ग्रेड-1) पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

कृष्ण
कृष्ण सिंह
कृष्ण के उपराज्यकारी
कृष्ण के उपराज्यकारी

6. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'ग' के अभियंत्रण इकाई के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2400)

ड्राफ्ट स्टीमेटर एवं समतुल्य पद का पदसोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	ड्राफ्ट स्टीमेटर ड्राफ्ट मैन पम्प मकैनिक	ग	5200-20200	2400
2	ड्राफ्ट स्टीमेटर ड्राफ्ट मैन पम्प मकैनिक	ग्रेड-1	ग	5200-20200
3	ड्राफ्ट स्टीमेटर ड्राफ्ट मैन पम्प मकैनिक	ग्रेड-2	ख	9300-34800
				4200

1. पम्प ऑपरेटर, हेड पम्प मिस्ट्री तथा पम्प मिस्ट्री का पद पम्प मकैनिक के नाम से पदनामित

किया जायेगा।

2. हेड स्टीमेटर ग्रेड-1 को पद को ड्राफ्ट स्टीमेटर ग्रेड-2 के नाम से पदनामित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) को सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

४५११८

1. पद का नाम :	ड्राफ्ट स्टीमेटर ड्राफ्ट मैन पम्प मैकेनिक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	संबंधित ट्रेड में आई0टी0आई0
4. वेतन संरचना :	वेतन थैंड 5200-20200 घेड पे-2400 पी0बी0 1 न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
5. आयु सीमा :	नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्त विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्ण, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	मूल पद से घेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं घेड-1 से घेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 6 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।
8. परिवीक्षा अवधि :	

7. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद
सोधान (ग्रेड पे 2000)

ग्रलास ब्लौअर एवं समतुल्य पद का पदसोधान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	ग्रलास ब्लौअर असिस्टेंट ड्राफ्टमैन प्रयोगशाला तकनिशियन	ग	5200-20200	2000
2	ग्रलास ब्लौअर असिस्टेंट ड्राफ्टमैन प्रयोगशाला तकनिशियन	ग्रेड-1	ग	5200-20200
3	ग्रलास ब्लौअर असिस्टेंट ड्राफ्टमैन प्रयोगशाला तकनिशियन	ग्रेड-2	ख	5200-20200
				2800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

प्रभाग
कृष्ण निहित
प्रबन्ध संचालन
प्रबन्ध संचालन

1. पद का नाम :	ग्लास ब्लोअर अमिस्टेंट ड्राफ्टमैन प्रयोगशाला तकनिशियन
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटी0आई0 उत्तीर्ण। प्रयोगशाला तकनिशियन के लिए विज्ञान से इंटरमीडिएट।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 1 एस0
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की कार्यिक गोपनीय चारित्री अनुकूलितायां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्पर्क जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 5 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

द्वेषर पद का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	द्वेषर	ग	5200-20200	2000
2	द्वेषर (ग्रेड- 1)	ग	5200-20200	2400
3	द्वेषर (ग्रेड-2)	ग	5200-20200	2800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	द्वेषर
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	मैट्रिक उत्तीर्ण तथा ट्रेसिंग में तीन वर्षों का कार्य अनुभव।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाकल के भेदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

२०३१५
पंचांग
२०२४

1. पद का नाम :	ट्रेसर (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे- 2400 पी0धी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विधागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर ट्रेसर के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

प्राप्ति
एजो के० सिंह
राजपत्र के अधीक्षित,
किंवा, पटा-22

1. पद का नाम :	द्वेषर (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड चे-2800 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर द्वेषर (ग्रेड-1) के पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

१०/११५
१०० उ० पृ० ३४५
प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

8. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'ग' के अधियंत्रण इकाई के
कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1900)

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	इलेक्ट्रीशियन मिस्ट्री फोटर एलम्बर बक्स सरकार	ग	5200-20200	1900
2	इलेक्ट्रीशियन मिस्ट्री फोटर एलम्बर बक्स सरकार	ग्रेड-1	ग	5200-20200 2000
3	इलेक्ट्रीशियन मिस्ट्री फोटर एलम्बर बक्स सरकार	ग्रेड-2	ग	5200-20200 2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत
ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद
कणाकित किया जायेगा।

2.1514

1. पद का नाम :	इलेक्ट्रीशियन मिस्ट्री फीटर एलम्बर वर्क सरकार
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	समूह 'ग' के पद को नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में आई0टी0आई0 होगी। यथा- इलेक्ट्रीशियन- इलेक्ट्रीक मिस्ट्री - मकैनिक फीटर - फीटर एलम्बर - एलम्बर वर्क सरकार- सिविल का कोई ट्रेड विजली मिस्ट्री के पद पर कार्यरत कर्मी, जिन्हें आई0टी0आई0 की डिग्री नहीं है, वे वेतन थैंड । एस एवं थैंड पे-1400 अनुमान्य होगा तथा वे उस संवर्ग के समतुल्य समझे जायेंगे।
4. वेतन संरचना :	वेतन थैंड 5200-20200 थैंड पे-1900 1 एस0
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत

	<p>तीन वर्षों को वार्षिक गोपनीय चारिशी अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचौपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

२०३११४
एवा० के० सिंह
प्रबन्धन के अव० चैरिव,
फ००८, पटा०-२२

वाहन चालक का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	वाहन चालक	ग	5200-20200	1900
2	वाहन चालक (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2000
3	वाहन चालक (ग्रेड-2)	ग	5200-20200	2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	वाहन चालक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्युक्लिन का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	मैट्रिक उत्तीर्ण होने के साथ-साथ वैथ ड्राइविंग लाइसेंस धारित अनिवार्य होगा। नियुक्ति के समय कम से कम 3 वर्षों का मोटर चालन का अनुभव अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेंदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। मैकेनिक कम ड्राइवर के पद को वाहन चालक के नाम से घदनामित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्नति के मामले में 3 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

संह.

1. पद का नाम :	वाहन चालक (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति को अनुशंसा पर वाहन चालक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

१३/१५
२० जून
कालावधि



1. पद का नाम :	वाहन चालक (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्ण, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक (ग्रेड 1) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

५३१८
२०१० के० सिंह
प्रोन्ति के अधर संबद्ध,
दिल्ली, दिल्ली-२२

प्रयोगशाला मिस्त्री पद का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	प्रयोगशाला मिस्त्री	ग	5200-20200	1900
2	प्रयोगशाला मिस्त्री (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2000
3	प्रयोगशाला मिस्त्री (ग्रेड-2)	ग	5200-20200	2400

1. इन्टर्मेन्ट कोपर (पी०बी०) पद को प्रयोगशाला मिस्त्री के पदनाम से पदनामित किया जायगा।

- उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	प्रयोगशाला मिस्त्री
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्युक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहता :	किसी मान्यत प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	निश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाकर्ता के मेंदा सूची से अनुशासित उम्मीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 3 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

८८५१८
क्र० सिंह
२२ अक्टूबर
२०२२

1. पद का नाम :	प्रयोगशाला मिस्ट्री (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट डिग्री।
4. बेतन संरचना :	बेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा चरीयता कोटि क्रमांक सूची के चरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्मुचित, निधारीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से सर्वोच्च अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रयोगशाला मिस्ट्री के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

६१३।५
एब० के० सिंह
कलेक्टर के अव० सचिव
दिल्ली, पट्टा-२२

1. पद का नाम :	प्रयोगशाला मिस्ट्री (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन शैपड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा चरीबता कोटि क्रमांक सूची के चरीबता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त संवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबोधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रयोगशाला मिस्ट्री (ग्रेड 1) के पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

लाइन
एवं ०५० के० सिंह
राज्यशाला के अवृत्त सचिव,
बिहार, पटना-२२

9. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1300)

क्रम संख्या	पद का नाम	पद समूह	बेतन घैड	ग्रेड पे
	2	3	4	5
1	डिस्ट्रीब्यूटर माली चौकीदार कलीनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशपाल फराश केयरटेकर		घ	4440-7440 1300
2	डिस्ट्रीब्यूटर माली चौकीदार कलीनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशपाल फराश केयरटेकर	ग्रेड-1	घ	4440-7440 1400
3	डिस्ट्रीब्यूटर माली चौकीदार कलीनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशपाल फराश केयरटेकर	ग्रेड-2	घ	4440-7440 1600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत

ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद

कर्णाकृत किया जायेगा।

२० सिंह
सचिव

	डिस्ट्रीब्यूटर माली चौकीदार कलीनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशापाल फराश केयरटेकर
1. पद का नाम :	
2. पद समूह :	समूह 'घ'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	समूह 'घ' के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। इन पदों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईंकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। दाई पद के लिए साईंकिल चलाने की योग्यता में छूट होगी।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 4440-7440 घेड पे-1300 1 एस०
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर पदनाम से पदनामित किया जाएगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विडित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत</p>

	<p>तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्नति समिति को अनुशंसा पर प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से घेड-1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं घेड-1 से घेड-2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

संग्रहीत
दिनांक

10. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 1400)

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन घेड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	अधिलेख वाहक दफतरी कुक गैसमैन हेड जमादार बैंक पियून नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी) लैब वियर		घ	4440-7440 1400
2	अधिलेख वाहक दफतरी कुक गैसमैन हेड जमादार बैंक पियून नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी) लैब वियर	ग्रेड-1	घ	4440-7440 1600
3	अधिलेख वाहक दफतरी कुक गैसमैन हेड जमादार बैंक पियून नमूना संग्रहक (पी०जी० बॉटनी) लैब वियर	ग्रेड-2	घ	4440-7440 1650

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्ठिकत किया जायेगा।

२०१८
२०१० के० टिंक
शिक्षा विभाग
ग्रेड-2
प्रभारी, पठानू-२२

	अभिलेख बाहक दफतरी कुक गैसमैन हेड जमादार बैंक प्रियून नमूना संग्रहक (पी0जी0 बॉटनी) लैब बियरर
1. पद का नाम :	
2. पद समूह :	समूह 'घ'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	समूह 'घ' के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। उम्मीदवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंण्ड 4440-7440 ग्रेड पे-1400 1 एस0
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध प्रोन्ति के मापते पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

11. विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं सम्बद्ध कार्यालय के समूह 'घ' (चतुर्थ चर्चाय) के कर्मियों का पद सोपान (घ्रेड पे 1650)

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैठ	घ्रेड पे
1	2	3	4	5
1	टेलिफोन ऑपरेटर लेथ मिस्ट्री (स्नातकोत्तर विभाग)	घ	4440-7440	1650
2	टेलिफोन ऑपरेटर लेथ मिस्ट्री (स्नातकोत्तर विभाग)	घ्रेड-1	ग	5200-20200
3	टेलिफोन ऑपरेटर लेथ मिस्ट्री (स्नातकोत्तर विभाग)	घ्रेड-2	ग	5200-20200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत घ्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत घ्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	टेलिफोन ऑपरेटर लेथ मिस्ट्री (स्नातकोत्तर विभाग)
2. पद समूह :	समूह 'घ'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	टेलिफोन ऑपरेटर- मैट्रिक उत्तीर्ण एवं किसी संस्थान का टेलिफोन ऑपरेटिंग का कम से कम 5 वर्षों का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा। लेथ मिस्ट्री (स्नातकोत्तर विभाग) - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीन ट्रेड से आई(टी)आई(टी)
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 4440-7440 घ्रेड पे-1650 1 एम०

5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति - विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

५/३१५
एल० के० दिंह
राज्यपाल के अमर सचिव,
दिल्ली, पटना-२२

12. विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग पद

विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग पद

समूह 'ख' के आउट सोसिंग द्वारा कार्य कराये जाने वाले पद	1. मुद्रणालय अधीक्षक 1. जेनरल फोरमैन प्रेस 2. प्रेस पुफ रीडर 3. पुफ रीडर कम सुपरबाइजर 4. प्रधान वाचक 5. सिनियर पुफ रीडर 6. लेखापाल 7. प्रेस मशीन मैन 8. जूनियर स्टोर कोपर 9. जूनियर पुफ रीडर 10. सीनियर बाईंडर 11. सीनियर मशीन मैन 12. सीनियर कम्पोजिट असिस्टेन्स 13. कम्प्यूटर प्रेस 14. सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर 15. फिल्म ऑपरेटर 16. बुक बाईंडर 17. मेन्युस्क्रॉप्ट बुक बाईंडर 18. कैरेक्टर कम कम्पोजिटर सीनियर 19. मोनो कास्टर चरीय 20. मोनो ऑपरेटर 21. सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईंडर 22. मोनो ऑपरेटर कनीय 23. प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर 24. प्रेस फ्लाय वाच 25. जूनियर कम्पोजिटर 26. डिस्ट्रेम्बर 27. कैरेक्टर कम कम्पोजिटर 28. फ्लाय च्याय 29. मुख्य बढ़ई
समूह 'ग' के आउट सोसिंग द्वारा कार्य कराये जाने वाले पद	
समूह 'घ' के आउट सोसिंग द्वारा कार्य कराये जाने वाले पद	1. बढ़ई 2. फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस) 3. प्रेस बाईंडर

अभ्युक्ति

उपर्युक्त कोटि के सभी पद समाप्त समझे जायेंगे। उपर्युक्त पदों पर कार्यरत पदधारकों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त समूह 'ख' 'ग' एवं 'घ' के पदों के बिलकुल समतुल्य पदों पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पदों के उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान पदधारकों को उनके द्वारा भारित पद पर तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक सेवा निवृत्त न हो जाती हो। अथवा किसी स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर सामंजित न हो जाय। आडटसोरिंग के माध्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायगी।

३३३

एन० के० सिंह
एन० के० सिंह
काशी, भट्टा-२२

13 विश्वविद्यालय के मरणशील पद

मरणशील पद	
समूह 'क' के मरणशील पद	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी 2. बरीय चिकित्सा पदाधिकारी
समूह 'ख' के मरणशील पद	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशासी पदाधिकारी 2. हिन्दी अनुवादक 3. चिकित्सा पदाधिकारी
समूह 'ग' के मरणशील पद	<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पाउन्डर (फार्मासिस्ट) 2. एक्सरे तकनीशियन 3. लेबोरेट्री तकनीशियन 4. फार्मासिस्ट 5. कम्पाउन्डर 6. बैक्सोनेटर-कम-पैथोलॉजीकल लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डिसपेन्सरी) 7. सेन्ट्रल डिसपेन्सरी सहायक
समूह 'घ' के मरणशील पद	<ol style="list-style-type: none"> 1. फ्लाय ब्लॉय 2. एनीमल कीपर (सौनियर) 3. डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (प्रेस) 4. इंसर 5. इंसर-कम-तकनीशियन
अध्युक्त	<p>उपर्युक्त कांटि के सभी पद समाप्त समझे जायेंगे। उपर्युक्त पदों पर कार्यरत पदधारकों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त समूह 'ख' एवं 'घ' के पदों के विरुद्ध समतुल्य पदों पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पदों के उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान पदधारकों को उनके द्वारा धारित पद पर तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक सेवा निवृत्त न हो जाते हो अथवा किसी स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर सामंजित न हो जाय। मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायगी न ही इन पदों के अनुमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायगी।</p>

परिशिष्ट - 2

राज्य के महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के
पद/ पद सोपान

३७१५

1. महाविद्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे- 2800)

महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद कलासिफायर/पी०एल० असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर	ग	5200-20200	2800
2	सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद कलासिफायर/पी०एल० असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर (ग्रेड-1)	ख	9300-34800	4200
3	सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद कलासिफायर/पी०एल० असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर (ग्रेड-2)	ख	9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

४३१९
एन० के० सिंह
राज्यपाल के अव० सचिव,
१२.१.१३८-२२

1. पद का नाम :	सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद बलासिफायर/पी०एल० असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्युक्लिट का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	इनातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अनिवार्य होगा।
4. बेतन संरचना :	बेतन ब्रैपड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंदा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 6 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

दोषान्वयन
केंद्रीय विद्यालय
भूतपूर्व के विद्यार्थी

1. पद का नाम :	सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद क्लासिफायर/पी0एल0 असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तिर्थ एवं कालावधि से संबंधित अधिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद क्लासिफायर पी0एल0 असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

१०/१५/११
छल्ते क्रो ३० सिंह
रज्यपाल के अधीक्ष
बिहार, पट्टा-२२

1. पद का नाम :	सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद कलासिफायर/पी0एल0 असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अधिसेखों को सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं समतुल्य पद कलासिफायर/ पी0एल0 असिस्टेन्ट/ पुस्तकालय सहायक/ कैटलगर (ग्रेड-1) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

८/३/१५
रो० सिंह
कैटलगर
प्र०, १०-१२

पेन्टिंग इन्सट्रूक्टर एवं समतुल्य पद का पद सौधान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	चेतन बैड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	पेन्टिंग इन्सट्रूक्टर फोटोग्राफर फोटो इन्सट्रूक्टर क्राफ्ट इन्सट्रूक्टर आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	ग	5200-20200	2800
2	पेन्टिंग इन्सट्रूक्टर फोटोग्राफर फोटो इन्सट्रूक्टर क्राफ्ट इन्सट्रूक्टर आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	ग्रेड-1	ख	9300-34800
3	पेन्टिंग इन्सट्रूक्टर फोटोग्राफर फोटो इन्सट्रूक्टर क्राफ्ट इन्सट्रूक्टर आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर	ग्रेड-2	ख	9300-34800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (दच्च शिक्षा) को सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

१०/११४

1. पद का नाम :	पेन्टिंग इन्स्ट्रूक्टर फोटोग्राफर फोटो इन्स्ट्रूक्टर क्राफ्ट इन्स्ट्रूक्टर आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या- पेन्टिंग इन्स्ट्रूक्टर- पेन्टिंग में डिप्लोमा फोटोग्राफर/फोटो इन्स्ट्रूक्टर/ आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर -फोटोग्राफर में डिप्लोमा क्राफ्ट इन्स्ट्रूक्टर- क्राफ्ट में डिप्लोमा
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0वी- 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति/ प्रोन्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेधा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>प्रोन्ति- विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार एकौकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुण्डि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रांनन्त पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 6 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 5 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

आर्ट शिक्षक का पद सौपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	आर्ट शिक्षक/ आर्टिस्ट	ग	5200-20200	2800
2	आर्ट शिक्षक/ आर्टिस्ट (ग्रेड 1)	ख	9300-34800	4200
3	आर्ट शिक्षक/ आर्टिस्ट (ग्रेड-2)	ख	9300-34800	4600

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	आर्ट शिक्षक/ आर्टिस्ट
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट में डिग्री या आर्ट में डिप्लोमा आवश्यक होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंदा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुबोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रेस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 6 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की लिखि से दो वर्ष।

३०३१५
२०० दिसंबर
२०१५

1. पद का नाम :	आर्ट शिक्षक/ आर्टिस्ट (येड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. बेतन संरचना :	बेतन बैण्ड 9300-34800 येड पे-4200 पी0वी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचेपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर प्रोनंत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

६१३१६
एव० के० दिंह
राज्यपाल के अव० सदिक०
विदार, पटना-२२

1. पद का नाम :	आर्ट शिक्षक/ आर्टिस्ट (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंपड 9300-34800 ग्रेड पे-4600 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अधिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर प्रोनंत पद भरे जायेंगे।</p> <p>रुज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

५८३१५
संस्कृत
विभाग
प्रोफेसर विजय कुमार
प्रोफेसर विजय कुमार

सितार बादक का पद सौपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	सितार बादक	ग	5200-20200	2400
2	सितार बादक (ग्रेड 1)	ख	9300-34800	2800
3	सितार बादक (ग्रेड-2)	ख	9300-34800	4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) को सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	सितार बादक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंद्रा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	सितार वादक (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-2800 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्णि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गांपनीय चारिकी अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर सितार वादक पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 6 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

५.३.११
रु.० के० दिंह
राज्य सरकार के अक्षर संचित,
दिल्ली, पटना-२२

1. पद का नाम :	सितार बादक (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0वी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर सितार बादक (ग्रेड 1) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

८०५१५
१५८

2. महाविद्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2400)

लैब-इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	लैब इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक	ग	5200-20200	2400
2	लैब इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2800
3	लैब इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड 2)	ख	9300-34800	4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत

ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्ठित किया जायेगा।

लैब इन्वार्ज
ग्रेड-0 के 0 सिंह
रज्यपाल के अधीन सचिव,
झारखण्ड, पटना-22



1. पद का नाम :	लैब इन्वार्ज (आई०एस०सी०) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम निर्धारित अर्हता इंटरमीडिएट (विज्ञान) होना अनिवार्य है।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	<p>विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंदा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा।</p> <p>लैबोरेटरी सहायक का पद लैब-इन्वार्ज (ग्रेजुएट) पद के नाम से पदनामित किया जाएगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

१०८१५ दृष्टि
२०१५ दृष्टि
२०१५ के दृष्टि
२०१५ के दृष्टि



1. पद का नाम :	लैब इन्चार्ज (आईएसओ) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विडित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पूर्ण, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों को सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर लैब इन्चार्ज (आईएसओ) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>लैबोरेटरी सहायक का पद लैब-इन्चार्ज (आईएसओ) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक के नाम से पदनामित किया जाएगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 6 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

क्र० ११५



1. पद का नाम :	लैब इन्वार्ज (आईएसओसी) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. बेतन संरचना :	बेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड चे-4200 पी0वी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर लैब इन्वार्ज (आईएसओसी) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड-1) पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>लैबोरेटरी सहायक का पद लैब-इन्वार्ज (आईएसओसी) एवं समतुल्य पद जूनियर लैब सहायक (ग्रेड-1) के नाम से पदनामित किया जाएगा।</p> <p>एन्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

५८३१५
४३० के० द्विंदू
उत्तर प्रदेश के अधर सरका०.
दिल्ली, घटना-२२

संगीत अनुदेशक का पद सोपान

क्रम संख्या	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	संगीत अनुदेशक	ग	5200-20200	2400
2	संगीत अनुदेशक (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2800
3	संगीत अनुदेशक (ग्रेड 2)	ख	9300-34800	4200

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	संगीत अनुदेशक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडियट डिप्लोमा तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत शिक्षा का प्रमाण-पत्र
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंदा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	संगीत अनुदेशक (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति की अनुशासा पर संगीत अनुदेशक पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के मामले में 6 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

६५११५
एवं ० के० सिंह
राज्यपाल के उत्तर सचिव,
बिहार, पटना-२२

1. पद का नाम :	संगीत अनुदेशक (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200 पी0बी0 2
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर संगीत अनुदेशक (ग्रेड 1) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

२१५१५

3. महाविद्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे 2000)

लेबोरेट्री तकनीसियन/ ग्लास ब्लोअर का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	बेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	लेबोरेट्री तकनीसियन/ ग्लास ब्लोअर	ग	5200-20200	2000
2	लेबोरेट्री तकनीसियन/ ग्लास ब्लोअर (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2400
3	लेबोरेट्री तकनीसियन/ ग्लास ब्लोअर (ग्रेड 2)	ग	5200-20200	2800

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	लेबोरेट्री तकनीसियन/ ग्लास ब्लोअर
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त ओर्ड आईएस0सी0 एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से लेबोरेट्री तकनीसियन योग्यता अनिवार्य होगा।
4. बेतन संरचना :	बेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के देखा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोन्नति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	लेबोरेट्री तकनीसियन/ ग्लास ब्लॉअर (ग्रेड-1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्नति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्नति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्नति समिति को अनुशंसा पर लेबोरेट्री तकनीसियन पद से प्रोन्नत पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्नति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं।

३०३१५

प्रोन्नति के मामले में
लागू नहीं।

1. पद का नाम :	लेबोरेट्री तकनीसियन/ म्लास ब्लोअर (ग्रेड-2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2800 पी0वी0 1
5. आवृत्ति सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर लेबोरेट्री तकनीसियन (ग्रेड 1) पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

संख्या 14
दूल० -५० तिंह
राज्यपाल के अधर संचित,
बिहार, घटना-22

4. महाविद्यालय के समूह 'ग' के कर्मियों का पद सोपान (घेड पे 1900)

निम्न वर्गीय लिपिक का पद सोपान

क्रम सं.	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	घेड पे
1	2	3	4	5
1	निम्न वर्गीय लिपिक	ग	5200-20200	1900
2	उच्च वर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक (लेखा)	ग	5200-20200	2400
3	प्रधान लिपिक / प्रधान लिपिक (लेखा)	ग	9300-34800	4200

कनीय सहायक का पदनाम 20.12.2000 से निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से पदनामित हो चुका है।

1. पद का नाम :	निम्न वर्गीय लिपिक (वित्त विभाग के रूपत्व पाला-8825 दिनांक 20.12.2000 के आलोक में 20.12.2000 के बदले जिथे से नियुक्त हिन्दवर्गीय लिपिक, विवर लिपिक, पंदारचाल, टेक्का, कैशियर एवं लिपिकीय संबंधों के सभी पद निम्न वर्गीय लिपिक के नाम से पदनामित सम्मिलित।)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. नियुक्ति का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा प्रोप्रित समतुल्य योग्यता तथा कम्प्यूटर टंकण में न्यूनतम प्रति मिनट गति हिन्दी में 30 शब्द एवं अंग्रेजी में 35 शब्द टंकण दक्षता अनिवार्य होगा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 घेड पे-1900 पी0बी01
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल के मेंदा सूची से अनुशासित उमीदवारों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायगी।
लिपिकीय संबंध के 40 प्रतिशत पद उच्च वर्गीय लिपिक	

तथा 60 प्रतिशत पद निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे।

निम्न वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) से उच्च वर्गीय लिपिक (लिपिकीय संवर्ग) के पद पर प्रोन्नति की जायगी।

(वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8825 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कड़िका 3 एवं 4 के प्रावधान के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के एकीकृत पदों को पृथक (डिमर्ज) कर दिनांक 20.12.2000 के बाद की तिथि से लिपिकीय संवर्ग के पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक पद पर सीधी नियुक्ति (बेतनमान 3050-4590/-रु०) किये जाने का प्रावधान किया गया।)

वरीयता सूची का संधारण - विश्वविद्यालय/ स्नातकोत्तर विभाग एवं संबद्ध कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के लिए समेकित वरीयता सूची यथा- निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक एवं प्रशास्त्र पदाधिकारी का समेकित रूप से अलग-अलग कोटि का वरीयता कोटि क्रमांक सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।

लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदनाम से पदनामित यथा-शॉटर संबंधित विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदों का नाम निम्न वर्गीय लिपिक के पदनाम से नियमत: पदनामित किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोहटर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7. कालावधि :	प्रोन्नति के लिए 8 साल
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

८/३१५
रुप० के० सिंह
सन्दर्भ के अवधि
बिहार, पट्टा-२२

	उच्च वर्गीय लिपिक (वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8825 दिनांक 20.12.2000 के आलोक में 20.12.2000 के पूर्व से दिव्यांशु लिपिक, विष्व लिपिक, भंडारपाल, टंकक, कैशियर, लिपिकीय संबंधों के सभी पदों पर कार्रवत कर्त्ती उच्च वर्गीय लिपिक नाम से पदनामित नहींमिलत।)
1. पद का नाम :	
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 घेड ऐ-2400 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति	<p>महाविद्यालय के समेकित निम्न वर्गीय लिपिक की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता भंडारपाल विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा लिपिकों की विश्वविद्यालय स्तरीय विभागीय परोक्षा में उत्तीर्णता/ सेवा सम्पूर्ण/ आरोप/ कार्यिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि आदि के सम्पर्क जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर उच्च वर्गीय लिपिक के शत प्रतिशत पद प्रोन्ति से भरे जायेंगे।</p> <p>(वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8825 (वि०) दिनांक 20.12.2000 की कोटिका 3 एवं 4 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से लिपिकीय संबंध यथा पुस्तकालय सहायक, शॉर्टर, पत्राचार लिपिक, दिनचर्यां लिपिक, विष्व लिपिक, भंडारपाल, टंकक, कैशियर के एकीकृत सभी पदों को पृथक (डिमर्ज) कर उच्च वर्गीय लिपिक माना गया है।) उच्च वर्गीय लिपिक का पद पूर्णतः प्रोन्ति का पद है। यह प्रावधान महाविद्यालय कर्मियों पर भी समान रूप से प्रभावी है।</p> <p>उच्च वर्गीय लिपिक के समतुल्य भंडारपाल का पद होगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के लिए 10 साल
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं होगे।

1. पद का नाम :	प्रधान लिपिक/ प्रधान लिपिक (लेखा)
2. पद समूह :	समूह 'ख'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 9300-34800 घेड पे-4200 पीएची० २
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति	<p>महाविद्यालय के उच्च वर्गीय लिपिक की वरीयता कोटि क्रमांक सूची से वरीयता क्रमानुसार विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा लिपिकों की विश्वविद्यालय स्तरीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता/ सेवा सम्पुष्टि/ आरोप/ वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्ति एवं कालावधि आदि के सम्यक जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रधान लिपिक के शत प्रतिशत पद प्रोन्ति से भरे जायेंगे।</p> <p>प्रधान लिपिक के समतुल्य पद प्रधान लिपिक (लेखा) का पद होगा।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति में मामले में लागू नहीं होंगे।

६३१५

वाहन चालक का पद संपोषण

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	वाहन चालक	ग	5200-20200	1900
2	वाहन चालक (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2000
3	वाहन चालक (ग्रेड 2)	ग	5200-20200	2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) को महमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	वाहन चालक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	मैट्रिक उत्तीर्ण ड्राइविंग लाइसेंस के साथ।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंदा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। मिस्ट्री सह वाहन चालक पद को वाहन चालक पद के नाम से पदनामित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोम्पर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 3 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	वाहन चालक (ग्रेड 1)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2000 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बद्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

२०१५

1. पद का नाम :	वाहन चालक (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी07बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर वाहन चालक (ग्रेड 1) पद से प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

कृति 14

तबला वादक का पद सौपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	२	३	४	५
1	तबला वादक	ग	5200-20200	1900
2	वरीय तबलावादक	ग	5200-20200	2000
3	मुख्य तबलावादक	ग	5200-20200	2400

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद ग्रेड-1 कण्डित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	तबला वादक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तबला वादन में डिप्लोमा।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी०वी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेंदा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। नोट:- पूर्व में अनुशंसित तबलावादक ग्रेड-2 का पद को तबला वादक पदनाम से तथा तबला वादक ग्रेड-1 को मुख्य तबलावादक के पदनाम से पदनामित किया जाय। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 3 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

1. पद का नाम :	चरीय तबलाबादक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. अनुतम प्रौद्योगिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 घेड पे-2000 पी0वी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा चरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरोयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोनंति समिति को अनुशंसा पर तबला बादक पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 5 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

६३१५

1. पद का नाम :	मुख्य तबलावादक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी0बी0 1
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर तबला वादक (ग्रेड 1) पद से प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

५८३१६
एन० ट००० टिंह
राज्यपाल के अव० अधिकारी
अध्यक्ष, दिल्ली-२२

सेक्सन कटर (पी०जी०) का पद सोपान

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	सेक्सन कटर (पी०जी०) मेकेनिक	ग	5200-20200	1900
2	सेक्सन कटर (पी०जी०) मेकेनिक (ग्रेड 1)	ग	5200-20200	2000
3	सेक्सन कटर (पी०जी०) मेकेनिक (ग्रेड 2)	ग	5200-20200	2400

त्रिपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कर्णाकित किया जायेगा।

1. पद का नाम :	सेक्सन कटर (पी०जी०)/ मेकेनिक
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक डर्टोर्न तथा अन्य प्रयोगशाला का कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे-1900 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेधा सूची के अनुसार की गई अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त महाविद्यालय के स्वीकृत रिक्त पदों को भरा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	प्रोनंति के मामले में 3 साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की लिखि से दो वर्ष।

३३३१५
३३३१६

1. पद का नाम :	सेक्सन कटर (पी०जी०) / मेकेनिक (ग्रेड १)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शिक्षणिक अहंता :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैपड ५२००-२०२०० ग्रेड पे-२००० पी०बी० १
5. आयु सीमा :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोन्ति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों को जारीक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्यक् जांचोपरांत प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	प्रोन्ति के मामले में ५ साल।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोन्ति के मामले में लागू नहीं।

६३११८
के० सिंह
प्र० अब्दुल सल्लाम
विद्या०, पटना-२२

1. पद का नाम :	सेक्सन कटर (पी०जी०)/मेकेनिक (ग्रेड 2)
2. पद समूह :	समूह 'ग'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे-2400 पी०बी० 1
5. आयु सीमा :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।
6. प्रोनंति :	<p>विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनंति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार रखीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनंति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, विभागीय आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अध्युक्तियां एवं कालावधि से संबंधित अभिलेखों के सम्बन्ध जांचोपरांत प्रोनंति समिति की अनुशंसा पर प्रोनंति पद भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	लागू नहीं।
8. परिवीक्षा अवधि :	प्रोनंति के मामले में लागू नहीं।

८८३१५
८८३१५

5. महाविद्यालय के समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सौपान (ग्रेड पे-1400)

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन वैड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	लैब विधर	घ	4440-7440	1400
2	लैब विधर	ग्रेड-1	4440-7440	1600
3	लैब विधर	ग्रेड-2	4440-7440	1650

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कणाकित किया जायेगा।

५/३/१५
१०० के० सिंह
उच्चाल के अधीक्षित,
विधार, वटना-२२

1. पद का नाम :	लैब वियरर
2. पद समूह :	समूह 'ध'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अहंता :	समूह 'ध' के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। इन पदों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सार्विकता चलाने की योग्यता अनिवार्य है।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैंड 4440-7440 ग्रेड पे-1400 1 एस० न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
5. आयु सीमा :	नियुक्ति - विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशंसित मेंबा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर पदनाम से पदनामित किया जाएगा। प्रोन्ति - विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोन्ति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्ति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुष्टि, आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित अभिलेख के सम्यक जाँचोपरान्त प्रोन्ति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्ति पर भरे जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्ति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्ति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

6. महाविद्यालय के समूह 'घ' (चतुर्थ वर्गीय) के कर्मियों का पद सोपान (ग्रेड पे-1300)

क्रम सं०	पद का नाम	पद समूह	वेतन बैंड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	माली चौकीदार किलनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशापाल पुस्तकालय अटेन्डेन्ट फर्स्ट	घ	4440-7440	1300
2	माली चौकीदार किलनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशापाल पुस्तकालय अटेन्डेन्ट फर्स्ट	ग्रेड-1	घ	4440-7440
3	माली चौकीदार किलनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशापाल पुस्तकालय अटेन्डेन्ट फर्स्ट	ग्रेड-2	घ	4440-7440

उपर्युक्त पदों के कुल स्वीकृत पदों का 40 प्रतिशत मूल पद, 40 प्रतिशत ग्रेड-1 एवं 20 प्रतिशत ग्रेड-2 के पद होंगे। यदि 5 से कम पद हों तो शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की सहमति से पद कण्ठिकित किया जायेगा।

१०३१५ दू० दिन्ह
लखनऊ

1. पद का नाम :	माली चौकीदार विलनर स्वीपर दाई रात्रि प्रहरी आदेशापाल पुस्तकालय अटेन्डेन्ट फरांश
2. पद समूह :	समूह 'घ'
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :	समूह 'घ' के पद को नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी। इन पदों के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है। दाई पद के लिए साईकिल चलाने की योग्यता में छूट होगी।
4. वेतन संरचना :	वेतन बैण्ड 4440-7440 ग्रेड पे-1300 1 एस0
5. आयु सीमा :	न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित के अनुसार होगा।
6. सीधी नियुक्ति :	<p>नियुक्ति - विश्वविद्यालय वयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अनुशासित मेंडा सूची से नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जायगी।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p> <p>डिस्ट्रीब्यूटर जूनियर भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर पदनाम से पदनामित किया जाएगा।</p> <p>प्रोनति - विश्वविद्यालय परिनियम के द्वारा गठित एवं विहित प्रोनति समिति द्वारा वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोनति के मामले पर विचार करने के निमित्त सेवा सम्पुण्डि, आरोप एवं विगत तीन वर्षों की वार्षिक गोपनीय चारित्री अभ्युक्तियाँ एवं कालावधि से संबंधित</p>

	<p>अभिलेख के सम्यक जाँचोपरान्त प्रोन्नति समिति की अनुशासा पर प्रोन्नद पर भरे जायेंगे।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।</p>
7. कालावधि :	मूल पद से ग्रेड-1 पर प्रोन्नति के लिए कालावधि 3 वर्ष एवं ग्रेड-1 से ग्रेड-2 पर प्रोन्नति के लिए 3 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. परिवीक्षा अवधि :	योगदान की तिथि से दो वर्ष।

पाठी 14
एवं 0 के 0 टिंह
राज्यपाल के नाम संविवेच
किहार, राज्य-22

7. महाविद्यालय के मरणशील पद

महाविद्यालय के मरणशील पद	
समूह 'ग' के मरणशील पद	1. कम्पाउन्डर
समूह 'घ' के मरणशील पद	1. एनीमल कीपर जूनियर 2. एनीमल कोपर सीनियर
अध्युक्त	उपर्युक्त कोटि का पद समाप्त समझा जायेगा। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को स्वीकृत एवं रिक्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त समूह 'घ' के पदों के विरुद्ध समतुल्य पद पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पद पर सामंजित किया जायेगा। सामंजन योग्य पद के उपलब्ध न होने की स्थिति में कर्तमान पदधारक को उनके द्वारा धारित पद पर तब तक बनाये रखा जायेगा जब तक सेवा निवृत्त न हो जाते हो अथवा किसी स्वीकृत एवं रिक्त पद पर सामंजित न हो जाय। मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर भविष्य में न तो किसी प्रकार की नियुक्ति की जायगी न हो इन पदों के अनुगमान्यता के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण की कार्रवाई की जायगी।

द्वितीय
दिनांक ३ दिसंबर, २०१५
प्रधान सचिव
महाविद्यालय

६५

परिशिष्ट-३

(क) गान्य के विश्वविद्यालयों एवं उसके सम्बद्ध इकाईयों में आडटसोसिंग के प्राप्त्यम से लिये जाने वाले कार्यों से संबंधित पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों के प्रोन्नति का पद सोचान :-

क्र० सं०	पद का नाम	बेतन बैंड	ग्रेड पे	सामंजन योग्य पद	वर्तमान पदधारक को अन्य विविद कर्मों के अनुसूच निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायगा
1	मुद्रणालय अधीक्षक	9300-34800	4200	उपलब्ध नहीं	1. मुद्रणालय अधीक्षक (ग्रेड-1) 9300-34800 ग्रेड पे-4600
					2. मुद्रणालय अधीक्षक (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4800
2	जेनरल फोरमैन प्रेस	5200-20200	2800	उपलब्ध नहीं	1. जेनरल फोरमैन प्रेस (ग्रेड-1) 9300-34800 ग्रेड पे-4200
					2. जेनरल फोरमैन प्रेस (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4600
3	प्रेस प्रुफ रीडर	5200-20200	2400	उपलब्ध नहीं	1. प्रेस प्रुफ रीडर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2800
					2. प्रेस प्रुफ रीडर (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4200
4	प्रुफ रीडर कम सुपरवाइजर	5200-20200	2400	उपलब्ध नहीं	1. प्रुफ रीडर कम सुपर० (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2800
					2. प्रुफ रीडर कम सुपर० (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4200
5	प्रधान वाचक	5200-20200	2400	उपलब्ध नहीं	1. प्रधान वाचक (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2800
					2. प्रधान वाचक (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4200
6	सिनियर प्रुफ रीडर	5200-20200	2400	उपलब्ध नहीं	1. सिनियर प्रुफ रीडर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2800
					2. सिनियर प्रुफ रीडर (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4200
7	लेखापाल	5200-20200	2400	उच्च वर्गीय लिपिक	उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य
8	प्रेस मशीन मैन	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. प्रेस मशीन मैन (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000
					2. प्रेस मशीन मैन (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400

४५११५ ~ दिंड
१००

क्र० सं.	पद का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड पे	सार्वजन योग्य पद	वर्तमान पदधारक को अन्य विभिन्न कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायगा
9	जूनियर स्टोर कीपर	5200-20200	1900	निम्न वर्गीय लिपिक	निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य
10	जूनियर प्रुफ रीडर	5200-20200	1900	निम्न वर्गीय लिपिक	निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य
11	सीनियर बाईंडर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. सीनियर बाईंडर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. सीनियर बाईंडर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
12	सीनियर मशीन मैन	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. सीनियर मशीन मैन (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. सीनियर मशीन मैन (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
13	सीनियर कम्पोजिटर असिस्टेन्स	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. सीनियर को असिस्टेन्स (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. सीनियर को असिस्टेन्स (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
14	कम्प्यूटर प्रेस	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. कम्प्यूटर प्रेस (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. कम्प्यूटर प्रेस (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
15	सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. सेक्शन होल्डर कम कम्पोजिटर सीनियर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
16	फिल्म ऑपरेटर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. फिल्म ऑपरेटर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. फिल्म ऑपरेटर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
17	मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईंडर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईंडर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. मेन्युस्क्रीप्ट बुक बाईंडर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400

602

क्र० सं०	पद का नाम	वेतन रेंड	ग्रेड पे	सामंजन योग्य पद	बर्जमान पदधारक को अन्य विविह कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्ति का लाभ दिया जायगा
18	बुक बाईन्डर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. बुक बाईन्डर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. बुक बाईन्डर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
19	कैरेक्टर कम कम्पोजिटर सीनियर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. कैरेक्टर कम कम कम सीनियर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. कैरेक्टर कम कम कम सीनियर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
20	मोनो कास्टर वरीय	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. मोनो कास्टर वरीय (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. मोनो कास्टर वरीय (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
21	मोनो ऑपरेटर	5200-20200	2000	उपलब्ध नहीं	1. मोनो ऑपरेटर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2400 2. मोनो ऑपरेटर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2800
22	सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईन्डर	5200-20200	2000	उपलब्ध नहीं	1. सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईन्डर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2400 2. सेक्शन होल्डर सह मुख्य बाईन्डर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2800
23	मोनो ऑपरेटर कनीय	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. मोनो ऑपरेटर कनीय (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800 2. मोनो ऑपरेटर कनीय (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900
24	प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800 2. प्रेस डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900
25	प्रेस फ्लाय चाच	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. प्रेस फ्लाय चाच (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800 2. प्रेस फ्लाय चाच (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900

क्र० सं०	पद का नाम	बेतन बैंड	ग्रेड पे	सामंजन योग्य पद	वर्तमान पदधारक को अन्य लिंबि० कर्मी के अनुलेप निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायगा
26	जूनियर कम्पोजिटर	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. जूनियर कम्पोजिटर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800
					2. जूनियर कम्पोजिटर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900
27	डिस्ट्रेम्बर	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. डिस्ट्रेम्बर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800
					2. डिस्ट्रेम्बर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900
28	कैरेक्टर कम कम्पोजिटर	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. कैरेक्टर कम कम्पोजिटर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800
					2. कैरेक्टर कम कम्पोजिटर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900
29	फ्लाय चाय	4440-7440	1300	आदेशापाल	आदेशापाल के रूप में प्रोन्नति अनुमान्य
30	मुख्य बढ़ई	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. मुख्य बढ़ई (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000
					2. मुख्य बढ़ई (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
31	बढ़ई	4440-7440	1400	उपलब्ध नहीं	1. बढ़ई (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1600
					2. बढ़ई (ग्रेड-2) 4440-7440 ग्रेड पे-1650
32	फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस)	4440-7440	1400	उपलब्ध नहीं	1. फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस) (ग्रेड-1) 4440-7440 ग्रेड पे-1600
					2. फार्म लिफ्टर कम कुली (प्रेस) (ग्रेड-2) 4440-7440 ग्रेड पे-1650
33	प्रेस चाइन्डर	4440-7440	1400	उपलब्ध नहीं	1. प्रेस चाइन्डर (ग्रेड-1) 4440-7440 ग्रेड पे-1600
					2. प्रेस चाइन्डर (ग्रेड-2) 4440-7440 ग्रेड पे-1650

८३१८
८३१९
८३२०-११

विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध इकाईयों एवं महाविद्यालय के मरणशील घोषित किये जाने वाले पदों पर कार्यरत वर्तमान पदधारकों के प्रोन्नति का पद सोपान :

क्र० सं०	पद का नाम	बेतन र्हेंड	ग्रेड पे	सार्वजन योग्य पद	वर्तमान पदधारक को अन्य विभिन्न कमी के अनुसार निम्न प्रकार से प्रोन्नति का लाभ दिया जायगा
1.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	15600-39100	7600	उपलब्ध नहीं	1. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड-1) 37400-67000 ग्रेड पे-8700 2. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड-2) 37400-67000 ग्रेड पे-8900
2.	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	15600-39100	6600	उपलब्ध नहीं	1. वरीय चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड-1) 15600-39100 ग्रेड पे-7600 2. वरीय चिकित्सा पदाधिकारी(ग्रेड-2) 37400-67000 ग्रेड पे-8700
3.	प्रशासी पदाधिकारी	9300-34800	4200	उपलब्ध नहीं	1. प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-1) 9300-34800 ग्रेड पे-4600 2. प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4800
4.	हिन्दी अनुवादक	9300-34800	4200	उपलब्ध नहीं	1. हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-1) 9300-34800 ग्रेड पे-4600 2. हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4800
5.	चिकित्सा पदाधिकारी	9300-34800	4200	उपलब्ध नहीं	1. चिकित्सा पदाधिकारी (ग्रेड-1) 9300-34800 ग्रेड पे-4600 2. चिकित्सा पदाधिकारी (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4800
6.	कम्प्याउण्डर (फार्मासिस्ट)	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. कम्प्याउण्डर (फार्मासिस्ट) (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. कम्प्याउण्डर (फार्मासिस्ट) (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
7.	एक्स-रे तकनिशियन	5200-20200	2400	उपलब्ध नहीं	1. एक्स-रे तकनिशियन (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2800 2. एक्स-रे तकनिशियन (ग्रेड-2) 9300-34800 ग्रेड पे-4200
8.	लेबोरेट्री तकनिशियन	5200-20200	2000	उपलब्ध नहीं	1. लेबोरेट्री तकनिशियन (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2400 2. लेबोरेट्री तकनिशियन (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2800

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन थ्रेड	ग्रेड पे	सामंजन योग्य पद	बर्तमान पदधारक को अन्य विविह कर्मी के अनुरूप निम्न प्रकार से प्रोन्ति का लाभ दिया जायगा
9.	फार्मासिस्ट	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. फार्मासिस्ट (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
10.	कम्पाउन्डर	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. कम्पाउन्डर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. कम्पाउन्डर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
11.	वैक्सीनेटर- कम-पैथोलॉजीकल लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी)	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. वैक्सीनेटर- कम-पैथो० लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी) (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. वैक्सीनेटर- कम-पैथो० लैब तकनीशियन (सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी) (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
12.	सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक	5200-20200	1900	उपलब्ध नहीं	1. सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-2000 2. सेन्ट्रल डिस्पेन्सरी सहायक (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-2400
13.	फलाय छवीय	4440-7440	1300	आदेशपाल	आदेशपाल के रूप में प्रोन्ति अनुमान्य
14.	एनोमल कोपर (सिनियर)	4440-7440	1300	आदेशपाल	आदेशपाल के रूप में प्रोन्ति अनुमान्य
15.	एनोमल कोपर (जूनियर)	4440-7440	1300	आदेशपाल	आदेशपाल के रूप में प्रोन्ति अनुमान्य
16.	डुप्लिकेटिंग मशीन मैन (प्रेस)	4440-7440	1400	उपलब्ध नहीं	1. डुप्लिकेटिंग मशीनमैन(प्रेस)(एस-1) 4440-7440 ग्रेड पे-1600 2. डुप्लिकेटिंग मशीनमैन(प्रेस)(एस-1) 4440-7440 ग्रेड पे-1650
17.	डेसर	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. डेसर (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800 2. डेसर (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900
17.	डेसर कम तकनीशियन	4440-7440	1650	उपलब्ध नहीं	1. डेसर कम तकनीशियन (ग्रेड-1) 5200-20200 ग्रेड पे-1800 2. डेसर कम तकनीशियन (ग्रेड-2) 5200-20200 ग्रेड पे-1900

५१३।६ दिन
एन० फ०० दिन
तकनीशियन के लिए नियम
कित्तूर, चंद्रा-२२

अनुलग्नक संख्या-II

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) से संबंधित परिनियम-।

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया। शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना" से संबंधित परिनियम-। का गठन।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ:-

- (1) यह परिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी 'सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना' परिनियम-], संक्षेप में ए०सी०पी० योजना से संबंधित परिनियम-। कहा जायगा।
- (2) इसका विस्तार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के ग्रुप 'बी', 'सी' एवं 'डी' के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा, परन्तु राज्य सरकार की सहमति ग्रुप "ए" के एकाकी पद धारकों पर या एकल पदों पर लागू होगा।
- (3) यह दिनांक ०९.०८.१९९९ के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

२. परिभाषाएँ:- इस परिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) 'संवर्ग'- से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह;
- (ii) 'उन्नत कोटि' से अभिप्रेत है किसी संवर्ग या सेवा के लिए बनाई गयी परिनियम के अधीन परिस्थिति किये गये मूल कोटि से उच्चतर कोटि के पद;
- (iii) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस परिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;
- (iv) 'सीमित प्रतियोगिता परीक्षा' से अभिप्रेत है संवर्ग/सेवा परिनियम में विनिर्दिष्ट अधीनस्थ सेवा या संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर संवर्ग के लिए चयन हेतु विश्वविद्यालय स्वार पर ली जाने वाली परीक्षा;
- (v) 'योजना-।' से अभिप्रेत है इस परिनियम के अधीन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-।

३. योजना :-

- (1) इस योजना के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के ग्रुप 'बी', 'सी' एवं 'डी' के वैसे नियमित कर्मियों को, जिन्हें अपने सेवा की अवधि में किसी वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिला हो, १२ (बारह) वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन और आगामी १२ (बारह) वर्षों की सेवा कुल २४ (चौबीस) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण:- (i) दो स्तर के पद के मेलवन्गम (Merges) के फलान्वकाश हुए वित्तीय उन्नयन को ए०सी०पी० योजना के निमित्त वित्तीय उन्नयन माना जायेगा और योजना के अधीन लाभ की मंजूरी पर विचारण के समय इसे ध्यान में रखा जाएगा।

(ii) यदि इस योजना के लागू होने को तिथि को किसी कर्मी को सेवा 12 वर्षों से अधिक हो चुकी हो और उसे प्रथम वित्तीय उन्नयन मंजूर किया जाता है तो द्वितीय वित्तीय उन्नयन 24 वर्षों की संवादाधि पूर्ण होने पर मंजूर किया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों की अतिरिक्त अवधि को पूरा किये जाने को शर्त लागू नहीं होगी।

(2) वित्तीय उन्नयन, संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवक को उसके संवर्ग के लिए विहित विद्यमान उन्नत कोटि के बेतनमानों में मिलेगा और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न पदों के लिए मंजूर बेतनमान ही सुसंगत होगी। जहाँ प्रोन्नति का उन्नत कोटि सेवा परिनियम में परिभाषित न हो या प्रोन्नति के उन्नत कोटि में दो नियमित प्रोन्नति से कम हो, वहाँ इस परिनियम की अनुमूल्य-1 के अनुसार उच्चतर बेतनमानों में ए०सी०पी० योजना के अधीन दो वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- अपुनरीक्षित बेतनमान में मूल श्रेणी के पद रु० 1200-1800 और प्रथम प्रोन्नति के पद रु० 1320-2040 दोनों के लिए एक ही रु० 4000-6000 स्वीकृत पुनरीक्षित बेतनमान है; ऐसी स्थिति में 4000-6000 को मूल कोटि का बेतनमान मानकर प्रथम और द्वितीय वित्तीय उन्नयन उच्चतर बेतनमानों में दिया जाएगा।

4. पात्रता और शर्तें:- इस योजना के अधीन पात्रता निम्नलिखित शर्तों द्वारा विनियमित होगी:-

(1) योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी का मूल मापदण्ड (Criterion) यह है कि संबंधित कर्मचारी पुनरीक्षित बेतनमान सहित एक ही बेतनमान में 12/24 वर्षों से काम करता आ रहा हो; ऐसी स्थिति में उच्चतर बेतनमानों की मंजूरी दी जायेगी, भले ही उसने विभिन्न पदों पर एक ही बेतनमान में कार्य किया हो;

"परन्तु यदि मूल नियुक्ति के पद से भिन्न पद पर नियुक्ति उच्चतर बेतनमान में की गयी है तो उसे सोधी नियुक्ति माना जायेगा और ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जायेगी।"

उदाहरण (i) यदि स्वीपर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की भर्ती आदेशपाल के पद पर को जाती है जिसका बेतनमान वही है तो पूर्व के सेवा की गणना की जायेगी।

(ii) आदेशपाल के पद से चालक के उच्चतर बेतनमान वाले पद पर भर्ती के मापदण्ड में 'आदेशपाल' के पद पर को गयी सेवा की गणना नहीं की जायेगी।

(2) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किये गये चयन के आधार पर उच्चतर पद पर की गयी नियुक्ति योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ सोधी नियुक्ति मानी जायेगी और

506

● निम्नतर वेतनमान में की गयी सेवा की गणना नहीं की जायेगी। अगर सुसंगत सेवा 'परिविहार' में सौधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया हो।

'परन्तु यदि सुसंगत सेवा परिविहार में निम्नतर वेतनमान में कर्मियों के लिए प्रोन्ति का कोटा नियत किया गया हो तो ऐसो नियुक्ति को योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ प्रोन्ति माना जायेगा और वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के लिए पूर्व सेवा की गणना की जायेगी।

स्पष्टीकरण:- (i) उदाहरणार्थ यदि उप-कुलसचिव संवर्ग की नियुक्तियों को भरने के लिए सुसंगठित सेवा परिविहार में केवल सौधी नियुक्ति का भी प्रावधान है और किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सहायक को नियुक्ति उन्नत श्रेणी में सौमित्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होती है तो इसे १०सौ०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ के प्रयोजनार्थ सौधी नियुक्ति माना जायेगा। ऐसे मामलों में निम्नतर वेतनमान में की गयी सेवा की अवधि की गणना १०सौ०पी० योजना के अधीन लाभ की मंजूरी के लिए नहीं की जायेगी।

(ii) कर्नीय अभियंताओं के लिए; अभियंत्रण डिग्री प्राप्त करने पर, सहायक अधियंता संवर्ग में प्रोन्ति पाने का प्रावधान है। इसलिए कर्नीय अभियंता जब उसकी प्रोन्ति सहायक अभियंता के पद पर हो गई हो तो १०सौ०पी० योजना के अधीन उसे प्रोन्ति प्राप्त माना जायेगा, भले ही दोनों संवर्ग अलग-अलग हैं, ऐसे कर्मियों को एक प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त माना जायेगा।

(3) किसी कर्मचारी विशेष को योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है या नहीं या कितना उन्नयन देय है, इसके अवधारण के लिए संबंधित कर्मचारी के सेवा इतिहास के साथ-साथ प्रत्येक वेतन पुनरीक्षण के बाद मंजूर वेतनमान की समीक्षा पूर्ण रूप से आवश्यक है ताकि इसका सत्यापन हो सके कि मूल नियुक्ति के बाद पुराने नियमों के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है या नहीं, और यदि दिया गया है तो कितना?

स्पष्टीकरण:- यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति वेतनमान-1 में हुई है और वह अभी वेतनमान-2 में है तो उसे योजना के अधीन एक और वित्तीय उन्नयन स्केल-3 में दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्केल-1 में नियुक्त कर्मचारी अभी स्केल-3 में है तो उसे कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जायेगा।

(4) योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ केवल नियमित सेवा की गणना की जायेगी जिसकी गणना नियमित प्रोन्ति के प्रयोजनार्थ की जाती है। परिणामतः तदर्थ आधार पर कोई सेवा अवधि की गणना योजना के अधीन वित्तीय लाभ के मंजूरी के लिए नहीं की जाएगी, भले ही उसे बाद में नियमित कर दिया गया हो और वेतन वृद्धि की मंजूरी दी गयी हो।

स्पष्टीकरण:- (i) आकस्मिक या दैनिक वेतन आधार पर या सर्विदा के आधार पर या अस्थायी आधार पर की गयी सेवा की गणना इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के लिए नहीं की जायेगी।

(ii) यदि अस्थायी सेवा के अधीन कार्यरत कर्मचारी नियमित सेवा में प्रवृश करता है तो केवल नियमितकरण की तिथि से आरम्भ होने वाली अवधि या नियमित सेवा को अवधि की गणना योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(3) योजना के अधीन बेतन उन्नयन को मंजूरी की निहित अवधिसारे एवं हुंग वही होंगे जो सेवा परिनियम में रिक्तियों के विरुद्ध नियमित प्रोन्ति के लिए विहित किए गए हों। यदि किसी प्रोन्ति के लिए विभागीय परीक्षा पास करना या कोई अन्य अहर्ता विहित हो तो योजना के अधीन लाभ की मंजूरी के लिए भी वह अनिवार्य शर्त होगी, यदि वे शर्त परिनियम/ परिपत्रों/ संकल्पों के अधीन विहित की गयी हों।

परन्तु योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन 12/24 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद देय होगा और इसके लिए नियमित प्रोन्ति के लिए निर्धारित कालावधि में कोई बाधा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- (प) किसी परिनियम में कातिपय श्रेणियों के कर्मियों को नियमित प्रोन्ति के लिए सेवा की कालावधि में शिथिलन के प्रावधान निहित रहने पर भी इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ के लिए विहित पात्रता हेतु 12/24 वर्षों की कालावधि में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

(पप) यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोन्ति के योग्य नहीं पाए जाने के चलते ५०स००प० योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ ठीक 12 वर्ष के बाद न देकर विलम्ब से दिया जाता है तो ५०स००प० योजना के अधीन दूसरा वित्तीय उन्नयन, प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों बाद दिया जायेगा।

5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के पद की स्थिति (Status) :-

(1) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ उच्चतर बेतन तक ही सीमित है और इसके अधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवकों को उच्चतर बेतनमान में पदनाम, कर्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार वित्तीय उन्नयन को कृत्यकारी या नियमित प्रोन्ति नहीं मानी जायेगी और न ही इससे किसी की वरीयता प्रभावित होगी। इसलिए वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नए पद के सूचन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के चलते विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मी को कातिपय वित्तीय एवं अन्य लाभों यथा गृह निर्माण अधिकारी, आवास का आवंटन एवं अधिग्रामों तथा सेवानिवृति सेवातं सार्वजनिक समारोहों में आमंत्रण, उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति।

(3) इस योजना के तहत स्वौकृत किए गए उच्चतर बेतनमान के आधार पर कर्मचारी सेवा निवृत्ति/सेवातं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(4) न्यूक यह योजना किसी व्यक्ति को केवल वित्तीय उन्नयन का प्रावधान करती है उसके द्वारा धारित पद के उन्नयन का नहीं, इसलिए अधिकारी द्वारा धारित पद का वर्गीकरण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक के द्वारा नियमित मूल तौर पर धारित पद के बेतनमान के संदर्भ में होगा, सेवक को प्रदत्त उच्चतर

स्पष्टीकरण:- इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के आधार पर उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकता। जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सेवक इस योजना के लागू होने की तिथि के पूर्व से ही अन्य प्राधिकारों में अपने आवेदन के आधार पर विहित सेवा शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रतिनियुक्ति भत्ता पा रहे हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि में इस वित्तीय उन्नयन का केवल नौशनल लाभ देय होगा और तदनुसार बेतन निर्धारण का लाभ प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद योगदान की तिथि से देय होगा।

परन्तु वैसे मामलों में जहाँ कर्मी सरकारी विभागों में अथवा लोक उपकारों/प्राधिकारों/एजेंसी में प्रतिनियुक्त होंगे उन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान भी ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ देय होगा।

6. बेतन संरक्षण:- किसी वरीय कर्मी को इस आधार पर वित्तीय बेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा कि उसकी श्रेणी में उससे कठीय कर्मी योजना के अधीन उच्चतर बेतनमान में बेतन पा रहा है।

स्पष्टीकरण:- इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा और यह संभव है कि इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के चलते किसी संघर्ग में सोधी भर्ती किए गए सेवक का बेतन, प्रोन्ति से संघर्ग में आए वरीय कर्मियों के बेतन से उच्चतर हो परन्तु ऐसे मामलों में बेतन संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा क्योंकि इससे न तो वरीयता प्रभावित होती है और न ही पद की परिस्थिति/स्थिति (Status) में कोई परिवर्तन होता है।

7. स्क्रीनिंग कमिटी:- (i) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामलों के विचारण के लिए एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति की संरचना वही होगी जो उच्चतर श्रेणी में नियमित प्रोन्ति के लिए सुसंगत सेवा परिविष्ट के अधीन विहित विभागीय प्रोन्ति समिति की है, परन्तु जहाँ विभागीय प्रोन्ति समिति शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई हो तो वहाँ ए०सी०पी० योजना के अधीन स्क्रीनिंग समिति कुलपति की अध्यक्षता में गठित होगी और उक्त स्क्रीनिंग समिति में वित्तीय मलाहकार एवं वित्त पदाधिकारी के एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे।

(ii) स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभवतः जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। प्रथम आधे वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मित्तम्बर) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों को ए०सी०पी० योजना के अधीन लाभ देने हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचारण के लिए लिया जायेगा और इसी प्रकार द्वितीय आधे वित्तीय वर्ष (अक्टूबर से मार्च) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग समिति विचारण करेगी।

8. बेतन नियतिकरण:-

(i) योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी को मौलिक बेतन परिविष्ट के प्रावधान के अनुसार नियमित प्रोन्ति की तरह न्यूनतम 100/- रु.) का वित्तीय लाभ के अधीन रहते हुए नियत किया जायगा।

परन्तु यदि कोई कर्मी संलेखन प्रेड या कालावद प्रोन्नति योजना के अधीन जो पहले विद्यमान था वेतन नियतन का लाभ ले चुका हो, तो उसे मौलिक वेतन परिनियम के नियम के अधीन वेतन नियतन का लाभ देय नहीं होगा और उच्चतर वेतनमान में उनका वेतन नियतन मौलिक वेतन परिनियम के नियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(ii) योजना के तहत प्रदत्त वेतनमान में नियमित प्रोन्नति दी जानी हो तो नियमितिकरण का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।

(iii) नियमित प्रोन्नति को तरह विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मी को ए०सी०पी० योजना के अधीन उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतिकरण की तिथि को वेतन वृद्धि की तिथि के अनुसार चयन करने का विकल्प होगा।

(iv) इस योजना के आरम्भ होने की तिथि को यदि कोई कर्मी 24 वर्षों या अधिक की नियमित सेवा और प्रोन्नति योग्य होने के बाद भी मूल कोटि का वेतनमान प्राप्त कर रहा हो तो उसका वेतन पद उन्नत कोटि में दो उच्चतर वेतनमानों में नियत किया जायेगा परन्तु इससे आदेश एक ही तिथि को लागू नहीं होंगे और वेतन नियतिकरण के प्रयोजनार्थ इस नियम के उप-नियम(1) के प्रावधान लागू होंगे।

(v) उपर्युक्त सभी मामलों में स्क्रीनिंग समिति को अनुशंसा पर वेतन निर्धारण किया जायेगा।

9. निरसन एवं व्यावृत्ति:-

(1) विहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम-। दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से स्वतः निरसित समझा जायेगा।

(2) इस निरसन के होते हुए भी दिनांक 31.12.2008 तक विहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम-। के अधीन कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायगी। दिनांक 31.12.2008 तक किसी कर्मचारी को इस परिनियम के अधीन ऐसा वित्तीय उन्नयन यदि देय हो, मंजूर किया जायगा।

(3) इस योजना का काई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को योजना के प्रवृत्त होने के पूर्व परित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से बच्चित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह योजना लागू नहीं होती।

५१३१५

अनुसूची-।

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिए वेतनमाने की सूची :-

क्रमांक		वेतनमान(रु.)
1.	एस० 1	2550-55-2660-60-3200
2.	एस० 2	2610-60-3150-65-3540
3.	एस० 3	2650-65-3300-70-4000
4.	एस० 4	2750-70-3800-75-4400
5.	एस० 5	3050-75-3950-80-4590
6.	एस० 6	3200-85-4900
7.	एस० 7	4000-100-6000
8.	एस० 8	4500-125-7000
9.	एस० 9	5000-150-8000
10.	एस० 10	5500-175-9000
11.	एस० 12	6500-200-10500
12.	एस० 14	7500-250-12000
13.	एस० 15	8000-275-13500
14.	एस० 19	10000-325-15200
15.	एस० 21	12000-375-16500
16.	एस० 23	12000-375-18000
17.	एस० 24	14300-400-18300

१८३१५

अनुलग्नक संख्या-III

बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों हेतु रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से संबंधित परिनियम।

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों के बतन पुनरीक्षण के लिए गठित बतन पुनरीक्षण समिति की प्रतिवेदन (चाल्यम-III) में को मवी अनुशंसा के आधार पर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना का त्वाभ प्रदत्त करने की प्रक्रिया को शब्दों को विनियमित करने हेतु परिनियम।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ:-

- (i) यह योजना बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा शब्द "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना" से संबंधित परिनियम के नाम से जाना जायगा। संक्षेप में इस योजना को एम०ए०सी०पी० कहा जायगा।
- (ii) यह योजना पूर्व की "बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा शब्द (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम-। का अधिक्रमित रूप होगा तथा समूह 'क' की संगठित सेवा के पदाधिकारियों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय के गुप 'ए' 'बी' 'सी' और 'डी' श्रेणी के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
- (iii) यह परिनियम दिनांक ०१.०१.२००९ के प्रभाव से प्रवृत्त समझा जाएगा।

२. परिभाषाएँ:- इस योजना में, जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, एक पृथक इकाई के रूप में किसी सेवा या पदों का समूह।
- (ii) "उन्नत कोटि" से अभिप्रेत है, योजना के अधीन परिस्थित किये गए मूल कोटि से उच्चतर कोटि का ग्रेड-पे।
- (iii) "सीमित प्रतियोगिता परीक्षा" से अभिप्रेत है, संवर्ग में यथोपबंधित अधीनस्थ संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर संवर्ग के लिए चयन हेतु परीक्षा।
- (iv) "योजना-।" से अभिप्रेत है, इस योजना के अधीन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-।

3. राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के समूह 'ए' 'बी' 'सी' एवं 'डी' के नियमित कर्मचारियों के लिए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के रूप में जानी जाएगी। समूह 'ए' के एकाकी पदों पर भी लागू की जा सकेगी। यह योजना पूर्व की ए०सी०पी० परिनियम-। को यथा संशोधनों एवं साप्तीकरण को अधिक्रमित कर बनायी गयी है। इस योजना को प्रभावी करने तथा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शब्द एवं प्रक्रिया परिशिष्ट-। में दी गई हैं।

4. इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के मामलों पर वही समिति विनार करेगी जो संप्रति मुनिशिचित वृत्ति योजना में वित्तीय उन्नयन पर विचार करती आ रही है। यह ध्यान रखा जाएगा कि समिति के सदस्य वैसे पदाधिकारी होंगे जो एम०ए०सी०पी० के विचारणीय ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड कापर के गद धारण करते हों तथा वह उप-कुलसचिव के समकक्ष पद से अन्यून पांकित के न हो। अध्यक्ष समिति के सदस्यों के ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड कापर का होगा।
5. जहाँ समिति विश्वविद्यालय में गठित की जाती है वहाँ स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेंगी।
6. प्रशासनिक तंत्र पर अनावश्यक दबाव हटाने के लिए स्क्रीनिंग समिति एक समय सीमा का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार, अधिमानतः जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसको बैठक उस छमाही में परिपक्व होने वाले मामलों पर अधिक विचार करने के लिए होगी। तदनुसार किसी वित्तीय वर्ष को प्रथम छमाही (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान परिपक्व होनेवाले मामलों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति को बैठक में विचार किया जाएगा। ठीक इसी तरह किसी वित्तीय वर्ष के जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली स्क्रीनिंग समिति को बैठक में उनीं मामलों पर विचार किया जाएगा जो उसी वित्तीय वर्ष को दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में परिपक्व होंगे।
7. किन्तु एम०ए०सी०पी० योजना को लागू करने के लिए संघर्ष नियंत्री प्राधिकारी एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन लाभों की स्वीकृति के लिए विचार करने हेतु इन अनुदेशों के निर्गत होने की तारिख से एक माह के अन्दर पहली स्क्रीनिंग समिति गठित करेगा।
8. एम०ए०सी०पी० योजना के उपबंधों के दायरे एवं अधिप्राय के बारे में संदेह होने पर उसका निर्वचन/स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व की ए०सी०पी० योजना परिनियम-। के उपबंधों के अनुसार वित्तीय उन्नयन 31.12.2008 तक स्वीकृत किए जायेंगे।
9. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के कारण किसी कमीय कर्मचारी को वरोय कर्मचारी से अधिक वेतन मिलने की दशा में वेतन बैंड में वेतन अथवा ग्रेड वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा।
10. कोई पुराना मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। आगे, रूपांतरित एम०ए०सी०पी० योजना को लागू करते समय एक ही संघर्ष में पुराने ए०सी०पी० योजना परिनियम-। तथा एम०ए०सी०पी० योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतनमान में अंतर, विसंगति नहीं मानी जाएगी।

३१३।।४
एवं ३०० रुपये रिंग,
राजपत्र के लिए जिवा,
दिल्ली, प्रदेश-१२

परिशिष्ट-१

रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (रु०म०व००३०यो०) में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया।

१. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन सौधी भर्ती वाले घेड में क्रमशः १०, २० और ३० वर्षों की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही घेड वेतन में लगातार १० वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा तब उसे इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।
२. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन शिक्षा विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प 2693, दिनांक 27.08.2010 की अनुमूल्य-१ में वर्णित घेड-पे की श्रृंखला में महज उपर के घेड-पे में दिया जाएगा। इस प्रकार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय, जहाँ वो आनुकूलिक घेडों के बांच नियमित प्रोन्नति नहीं होती हो, कतिपय ऐसे मामले में घेड वेतन उससे भिन्न हो सकता है जो नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध होता हो। ऐसे मामले में संबद्ध संवर्ग/संगठन के पद सोचान में अगली प्रोन्नति से जुड़ा उच्चतर घेड वेतन नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जाएगा।
३. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन वेतन घेड-४ में उच्चतम घेड वेतन 12000/- रु० तक अनुमान्य होगा।
४. इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन देते समय वेतन निर्धारण का वही साध दिया जाएगा जो नियमित प्रोन्नति के समय दिया जाता है। इसलिए, ऐसे उन्नयन के पूर्व वेतन बैंड और घेड वेतन में मिलने वाले कुल वेतन में ३% की वृद्धि की जाएगी। किन्तु, यदि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत घेड वेतन वही हो जो नियमित प्रोन्नति के समय का घेड-वेतन हो तो नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। वास्तविक प्रोन्नति के समय यदि यह उससे उच्चतर घेड-वेतन वाला पद हो जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के समय मिला था, तब भी कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और मात्र घेड वेतन की अन्तर राशि जोड़ी जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक वेतन बैंड-१ के घेड वेतन 1900/- रु० में सौधी भर्ती के माध्यम से योगदान करता है और उसे 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति नहीं मिलता हो तो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उसे अगले उच्चतर घेड वेतन 2000/- रु० में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा एवं उसका वेतन निर्धारण एक वेतन वृद्धि के साथ-साथ घेड-पे के अंतर (अर्धत 100 रु०) को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लेने के बाद यदि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक अपने संवर्ग के ऊपरी पद सोचान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करता हो जिसका घेड वेतन 2400/- रु० हो तो, नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्र घेड वेतन 2400/- रु० और 2000/- रु० की अन्तर राशि ही प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रम पर उसे कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी।

5. वेतन समिति द्वारा अनुशासित वेतनमानों के विलियन/पदों के उन्नयन के कारण जिन ग्रेडों का अब ग्रेड वेतन एक ही हो गया है, तो उन ग्रेडों को पूर्व में अंजित प्रोन्ति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत उन्नत कोटि को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा:-

- (क) कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक जिसकी नियुक्ति पद सोपान के 5000-8000 रु० के वेतनमान में हुई थी और 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के बाद भी कोई प्रोन्ति नहीं मिली, उसके गामले में उसे सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने संवर्ग के पद सोपान के अगले ग्रेडों में दो वित्तीय उन्नयन मिला होता, अर्थात् उसे 5500-9000 रु० और 6500-10500 रु० का पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान मिलता।
- (ख) दूसरा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवक उसी पद सोपान के 5000-8000 रु० के वेतनमान में नियुक्त हुआ, उसने भी 25 वर्ष की सेवा पूरी की, किन्तु इस अवधि में उसे 5500-9000 रु० और 6500-10500 रु० के अगले उच्चतर ग्रेडों में दो प्रोन्तियाँ मिली।

उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों गामलों में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 01.01.2006 के पूर्व 5500-9000 रु० तथा 6500-10500 रु० के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में स्वीकृत प्रोन्ति/वित्तीय उन्नयन को वेतन समिति द्वारा अनुशासित पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों 5000-8000 रु०, 5500-9000 रु० और 6500-10500 रु० के आधेन योजना के मद्देनजर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। वेतन समिति की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग के संकल्प 2693 दिनांक 27.08.2010 के अनुसार उन दोनों को वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4200 रु० प्रदान किया जाएगा। रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने पर उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों गामलों में वेतन बैंड-2 में दो उच्चतर ग्रेड वेतन 4600 रु० और 4800 रु० का दो वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा।

6. 31.12.2005 तक सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त सभी कर्मचारियों के गामले में, उनका पुनरीक्षित वेतन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें स्वीकृत वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

6.1 01.01.2006 और 31.12.2008 के बीच सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन प्रदान किए जाने की दशा में, राज्य सरकार के कर्मचारी को शिक्षा विभाग के संकल्प 2693 दिनांक 27.08.2010 के अधीन यह विकल्प होगा कि वह वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना के अधीन अपना वेतन निर्धारण या तो (क) 01.01.2006 के प्रभाव से 01.01.2006 को अपने पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में करावे, या (ख) सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने वित्तीय उन्नयन की तारीख के प्रभाव से

करावे। यदि विकल्प (ख) का चयन करता है तो वह अपने बकाए वेतन को ग्राह करने का हकदार अपने विकल्प की तारीख से ही होगा अर्थात् सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की तारीख से।

- 6.2 ऐसे मामलों में जहाँ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संघकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना परिनियम-१ के उपबंधों के अनुसार अपने संघर्षों के पदसोषान में अगले उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया था, किन्तु जहाँ वेतन समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप संघर्ष के पद सोषान में अगला उच्चतर पद उच्चतर ग्रेड वेतन स्वीकृत किए जाने से उन्नत कोटि का कर दिया गया हो वहाँ ऐसे कर्मचारियों की पुनरीक्षण वेतन संरचना उस पद के लिए स्वीकृत उच्चतर ग्रेड वेतन के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। किन्तु, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने की तारीख से इस योजना के अधीन सभी वित्तीय उन्नयन वेतन समिति की अनुशंसा एवं वेतन पुनरीक्षण संकल्प, 2010 द्वारा यथा अनुसूचित वेतन बैंडों के ग्रेड वेतनों के सोषान को अनुसार ही किया जाए।

7. प्रोन्ति दिए जाने/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रशान किए जाने पर वेतन निर्धारण के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संघकों को मौलिक परिनियम के अर्थात् यह विकल्प होता है कि वह अपना वेतन उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में या तो प्रोन्ति/उन्नयन की तारीख से निर्धारित करावे या अपनी वेतन वृद्धि की अगली तारीख, अर्थात् वर्ष की पहली जुलाई से करावे। वेतन तथा अगली वेतनवृद्धि की तारीख वेतन पुनरीक्षण संकल्प के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

8. सेवा परिनियम के अनुसार प्रोन्ति श्रृंखला में समान ग्रेड वेतन वाले पद में अजित प्रोन्ति की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

- 8.1 वेतन समिति की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के फलस्वरूप, 5400 रु० का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैंडों यथा वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-3 में है। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन स्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड-2 के ग्रेड वेतन 5400 रु० तथा वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 5400 रु० को पृथक ग्रेड वेतनों के रूप में माना जाएगा।

9. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ “नियमित सेवा” नियमित आधार पर सीधी भर्ती वाले ग्रेड के पद पर योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी चाहे वह सीधी भर्ती के माध्यम से हुई हो या समायोजन/पुनर्नियोजन के माध्यम से, नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ/सविदा के आधार पर कोई गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी। किन्तु, नए विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे विभाग की पिछली लगातार नियमित सेवा, जो टूट रहित हो उसे भी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के

प्रयोजनाथं (न कि नियमित प्रांनतियों के प्रयोजनाथं) अहंक नियमित सेवा के रूप में गणना की जाएगी। किन्तु ऐसे मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ देने पर तब्तक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि नए पद पर परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद हुंग से पूरा न कर लिया जाए।

10. नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा में बिटाई गई सभी अवधि, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत अन्य प्रकार की सभी छुटियाँ शामिल होंगी।

11. यदि कर्मचारियों के अद्योग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना स्थगित/विलम्बित रखा जाता हो और किसी ग्रेड वेतन में 10 वर्षों के बाद नहीं दिया जाता हो, इसका परिणामी प्रभाव उत्तरवर्ती (बाद के) वित्तीय उन्नयन पर भी पड़ेगा और वह भी उस हद तक स्थगित/विलम्बित हो जाएगा जितनी देर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान करने में होगी।

12. इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने पर पदनाम, बगोकरण या उच्चतर हैमियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु वित्तीय तथा कतिपय अन्य लाभ, जो कर्मचारी को प्राप्त वेतन से जुड़े हुए हैं, यथा गृह निर्माण अग्रिम, आवास का आवंटन, दिए जाएंगे।

13. योग्यता के अध्यधीन, वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड-1 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन के स्थोपान में गैर कार्यात्मक (नन् फॉकसनल) होगा। तत्पश्चात्, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्नयन के लिए वेतन बैंड-3 के ग्रेड वेतन 6600 रु० तक बैंचमार्क (अच्छा) लागू होगा 7600 रु० तथा कूपर के ग्रेड वेतन तक के वित्तीय अल्कमण के लिए बैंचमार्क (बहुत अच्छा) लागू होगा।

14. अनुशासनिक/शास्ति वाली कार्यवाहियों के मामले में, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ प्रदान किया जाना सामान्य प्रोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगा।

15. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना में मात्र व्यवितरण आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन में केवल वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की बात है और इससे संबद्ध कर्मचारियों को वास्तविक/ कार्यात्मक प्रांनति नहीं मिलती। इसलिए, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर कोई आरक्षण आदेश/ रोस्टर लागू नहीं होगा और इसका लाभ समान रूप से सभी पात्र अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी मिलेगा। किन्तु नियमित प्रांनति के समय प्रांनति के आरक्षण के नियमों का पातन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन कर्मचारी विशेष के लिए पूर्णतः व्यवितात होगा और उसकी वरीयता की मिक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, वरीय कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि उस ग्रेड में कर्तीय कर्मचारी ने रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

17. वेतन बैंड में प्राप्त वेतन तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वीकृत ग्रेड वेतन सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी के मामले में सेवात लाभ के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा।
18. यदि समूह 'क' कर्मचारी, जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन आच्छादित नहीं था, 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के कारण अब यदि सीधे तृतीय वित्तीय उन्नयन का हकदार हो गया हो, तो उसका वेतन पुनरायित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के सापान में क्रयशः ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड वेतन में निर्धारित किया जाएगा और इस पर उसे 3% का वेतन निर्धारण लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र व्यक्तियों का वेतन भी तदनुसार निर्धारित किया जाएगा, परन्तु इससे आदेश एक ही तिथि को लागू नहीं की जायेगी।
19. यदि किसी कर्मचारी को अपने संगठन के अतिरेक घोषित कर दिया जाता है और उस की नियुक्ति नए संगठन में उसी वेतनमान या निम्नतर वेतनमान में की जाती हो, तो पिछले संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन नए संगठन में उसे वित्तीय उन्नयन देने के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा में रूप में की जाएगी।
20. यदि कोई कर्मचारी प्रोन्ति/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करने के बाद निम्नतर पद या निम्नतर वेतनमान में एक पक्षीय स्थानान्तरण जाहता हो, तो वह नए संगठन के पद पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के 20/30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर यथास्थिति द्वितीय और तृतीय वित्तीय उन्नयन का ही हकदार होगा।
21. वित्तीय उन्नयन का हकदार होने के पूर्व यदि किसी कर्मचारी को नियमित प्रोन्ति का लाभ (ऑफर) दिया गया हो किन्तु उसके द्वारा उस लाभ को तुकरा दिया गया हो, तो ऐसे कर्मचारी को कोई वित्तीय उन्नयन स्वीकृत नहीं किया जाएगा व्यांकि अवसर के अधार के कारण वह गत्यावरोध की स्थिति में नहीं रहा। किन्तु, यदि गत्यावरोध के कारण वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया हो और बाद में कर्मचारी ने प्रोन्ति अस्वीकार कर दिया हो, तो वित्तीय उन्नयन वापस लेने का यह आधार नहीं बनेगा। किन्तु यह आगे वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए विचार करने का तबतक पात्र नहीं होगा जबतक कि वह पुनः प्रोन्ति दिए जाने के लिए राजी न हो जाए तथा द्वितीय एवं अगले वित्तीय उन्नयन भी अस्वीकार किए जाने के कारण विवर्जन की अवधि के हद तक स्थगित कर दिया जाएगा।
22. अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ, पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति के मामले पर भी खींचनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कर्नीय पद पर प्रत्यावर्तन होने पर अथवा यदि तदर्थ आधार पर प्राप्त वेतन की अपेक्षा यह अधिक लाभकारी होने पर उन्हें भी वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जा सकेगा।
23. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारियों को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने द्वारा धारित पद

के बेतन बैंड और ग्रेड बेतन या रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें अनुमान्य बेतन और ग्रेड बेतन का योग जो भी लाभकारी हो, प्राप्त करने के लिए नए सिर से विकल्प दे सकेंगे।

उदाहरण:-

- (क) (1) यदि बेतन बैंड-1, ग्रेड बेतन 1900 रु० वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक (निंव०लि०) 8 वर्षों को सेवा पूरी करने पर अपना प्रथम नियमित प्रोन्नति (ठ०व०लि०) के बेतन बैंड-1, ग्रेड बेतन- 2400 रु० प्राप्त करता हो और तब उसी ग्रेड बेतन में आगे 10 वर्षों तक बिना किसी प्रोन्नति के बना रहा हो, तो वह 18 वर्षों ($8 + 10$ वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन बेतन बैंड-1, ग्रेड बेतन 2800 रु० में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का पात्र होगा।
- (2) यदि वह तत्पश्चात कोई प्रोन्नति नहीं प्राप्त करता हो, तो आगे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 28 वर्ष ($8+10+10$) की सेवा पूरी करने पर बेतन बैंड-2 ग्रेड बेतन 4200 में तृतीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा।
- (3) किन्तु यदि वह आगे पाँच वर्षों की सेवा के बाद अर्थात् 23 वर्ष ($8+10+5$) की सेवा पूरी करने पर द्वितीय प्रोन्नति बेतन बैंड-2, ग्रेड बेतन 4200 रु० (सहायक ग्रेड/ग्रेड-ग) में प्राप्त कर सकता हो, तो वह 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के 10 वर्ष बाद तृतीय वित्तीय उन्नयन बेतन बैंड-2 ग्रेड बेतन 4600 रु० में प्राप्त करेगा।

उपर्युक्त परिदृश्य में ऐसा उन्नयन के पूर्व प्राप्त बेतन बैंड और ग्रेड बेतन के योग के 3% प्रतिशत देकर उसका बेतन बढ़ा दिया जाएगा। किन्तु यदि नियमित प्रोन्नति उसी ग्रेड बेतन या उच्चतर ग्रेड बेतन में होती हो, तो उस समय पुनः कोई बेतन निधारण नहीं किया जाएगा। प्रोन्नतियों के समय मात्र ग्रेड बेतन की अंतर राशि अनुमान्य होगी।

(ख) यदि किसी बेतन बैंड-1, ग्रेड बेतन 1900 वाले विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक (निंव०लि०) को 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर बेतन बैंड-1, ग्रेड बेतन 2000 रु० में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता हो और 5 वर्ष बाद यह बेतन बैंड-1, ग्रेड बेतन 2400रु० में प्रथम नियमित प्रोन्नति (ठ०व०लि०) में प्राप्त करता हो, तो 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड बेतन अर्थात् विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक हारा धारित ग्रेड बेतन से ऊपर का बेतन बैंड-1 ग्रेड बेतन 2800 रु० में द्वितीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा। 30 वर्षों की सेवा पूरी

करने पर वह ग्रेड बेतन 4200 रु० में तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करेगा। किन्तु 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व यदि वह दो प्रोनंतियाँ प्राप्त कर लेता है तो द्वितीय प्रोनंति की तारीख से उस ग्रेड बेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर या सेवा के 30वें वर्ष में, जो भी पहले हो, तृतीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा। यदि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय सेवक को ये नियमित प्रोनंति दी गई हो अथवा 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद अगस्त, 1999 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, तो उसे 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन मात्र तृतीय वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा, बशर्ते कि अपने पद संपादन में वह तृतीय प्रोनंति प्राप्त न किया हो।

24. इस योजना का अभिभावी प्रभाव:- किसी अन्य परिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस योजना के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

25. नियमन एवं व्यावृति:-

(1) बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकोत्तर कार्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) परिनियम-। के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई कार्रवाई इस योजना द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह योजना उस तिथि को प्रवृत्त था जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गई थी।

(2) इस योजना का काई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को योजना के प्रवृत्त होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से विचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह योजना लागू नहीं होती।

26. शंकाओं का निराकरण:-

यदि इस योजना को किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और विभाग का निर्णय अंतिम होगा।